आयुक्त–सह–अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा की अध्यक्षता में दिनांक 30.06.2025 को आयोजित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा की बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :–

1. राजीव रौशन, आयुक्त–सह–अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा
2. श्री अनिल कुमार राय, संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा।
3. श्री मुकेश कुमार, अपर समाहर्त्ता (राजस्व), सारण, छपरा – सदस्य।

विशेष आमंत्रित सदस्य :–

1. जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण, सिवान एवं गोपालगंज (VC के माध्यम से)।

कार्यवाही:–

आयुक्त–सह–अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा द्वारा उपस्थित सदस्यों एवं VC से जुड़े सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/अन्य पदाधिकारीगण/आवेदकगण का स्वागत करते हुये बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

2. विगत बैठक दिनांक–29.05.2025 की कार्यवाही का अनुपालन हेतु निदेश दिया गया।

3. सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण को प्राधिकार द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत किए गए कार्यों की सूचना ग्रहित की गयी एवं उसका अनुमोदन किया गया।

4. मोटरयान अधिनियम, 1988 के महत्वपूर्ण नियमों/प्रावधानों यथा–76, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89 एवं 96 इत्यादि तथा उसके विषय की विस्तृत जानकारी सभी पदाधिकारियों एवं आवेदकों को दी गयी, ताकि परमिटधारी अपने परमिट का सही उपयोग कर सके।

माह–जून, 2025 में बसों की स्थायी परमिट निर्गत करने हेतु **कुल–32** नये आवेदन प्राप्त हुए हैं। सभी आवेदनों पर विचार किया गया, जो कार्यावली संख्या–3(i) परिशिष्ट–III पर दर्ज है।

इस बैठक हेतु प्राप्त आवेदन की विवरणी						पूर्व से लंबित आवेदन की विवरणी		
कुल आवेदन	स्वीकृत	संशोधित स्वीकृत	अस्वीकृत	आवेदन वापस	लंबित आवेदन	पूर्व से कुल लंबित	स्वीकृत	अस्वीकृत
32	19	05	06	02	—	00	—	—

प्राधिकार का निर्णय परिशिष्ट–I से III पर, पृष्ठ संख्या–........ से .... तक कुल–.... पन्नों में संलग्न है।

सभी सदस्यों द्वारा परमिट निर्गत करने से संबंधित परिपत्र एवं अधिसूचना आदि का अवलोकन किया गया, जो इस प्रकार है :–

क्रमांक	परिपत्र/अधिसूचना संख्या एवं दिनांक	विषय
1	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 1377 दि0 6.04.2018	वाहनों के अधिकतम गति सीमा के संबंध में।
2	परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 6281 दिनांक 02.09.2020	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्यगण की नियुक्ति।
3	उप परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना का पत्रांक 1932 दिनांक 12.03.2021	राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन हेतु क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों के लिए निर्देश।
4	बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 615 दिनांक 29.10.1985	राष्ट्रीयकृत मार्गों पर परिचालन के संबंध में।
5	विशेष सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 11715 दिनांक 05.10.1991	राष्ट्रीयकृत मार्गों पर परिचालन के संबंध में।

6	उप परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना का ज्ञापांक 1932 दिनांक 12.03.2021	शपथ–पत्र एवं वांछित कागजात के संबंध में।
7	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक RT-11036/09/2023-MVL दिनांक 02.01.2023	वाहनों को Flagging / Blacklisting करने के संबंध में।
8	सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना का पत्रांक 4548 दिनांक 14.06.2023 एवं सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–7695, दिनांक–13.05.2024	बसों के दोनों तरफ परमिट विवरणी अंकित करने के संबंध में।
9	परिवहन विभाग, बिहार, पटना का अधिसूचना सं0–6479, दिनांक–30.09.2022	सभी सार्वजनिक सेवा वाहनों में V.L.T.D. स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्यता के संबंध में।
10	सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना का पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023	सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में V.L.T.D. स्थापित एवं सक्रिय होने के संबंध में।
11	सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 1557 दिनांक 07.03.2022	सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में V.L.T.D. के संबंध में।
12	सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 4156 दिनांक 01.06.2023	सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में V.L.T.D. के संबंध में।

5. दो वाहनों के प्रस्थान समय में न्यूनतम अन्तराल :– प्राधिकार की बैठक दिनांक–10.09.2024 में विचार–विमर्श करने के उपरांत यात्रीगणों की सुविधा, परमिट हेतु प्राप्त आवेदनो की संख्या, बस पड़ाव में भीड़–भाड़ व वाहन स्वामियों के अनुरोध एवं सुझाव तथा अन्य निकटतम प्राधिकारों की पॉलिसी इत्यादि को देखते हुए **इसमें निम्न कंडिका ''क'' एवं ''ख'' के अनुरूप संशोधन किया गया, जिसे यथावत् रखते हुए प्राधिकार की बैठक दिनांक–27.02.2025 में कंडिका ''ग'' एवं ''घ'' जोड़कर इसे और अधिक स्पष्ट किया गया, ताकि समय–अंतराल के किसी बिंदु पर संशय की स्थिति नहीं रहे, जो निम्नवत है :–**

(क) प्रारम्भिक / मुख्य बिन्दु पर न्यूनतम समय अन्तरालः–

(i) किसी वाहन का पूर्व से निर्गत परमिट अथवा किसी वाहन के परमिट हेतु पहले प्राप्त आवेदन (स्वीकृत होने की स्थिति में) के प्रस्थान समय से पूर्व (Before) न्यूनतम 05 (पाँच) मिनट का समय अन्तराल अनुमान्य होगा।

(ii) किसी वाहन का पूर्व से निर्गत परमिट अथवा किसी वाहन के परमिट हेतु पहले प्राप्त आवेदन (स्वीकृत होने की स्थिति में) के प्रस्थान समय के बाद (After) न्यूनतम 02 (दो) मिनट का समय अन्तराल अनुमान्य होगा।

(ख) मध्य बिन्दु पर न्यूनतम समय अन्तरालः– किसी मार्ग के मध्य बिन्दु पर दो वाहनों के बीच प्रस्थान समय में अन्तराल (पहले या बाद में) न्यूनतम 02 (दो) मिनट का अनुमान्य होगा।

(ग) मार्ग भिन्न परन्तु कॉमन रूट 40 प्रतिशत से अधिक होने की स्थिति में समय–अंतरालः–

(i) पूर्व से निर्गत परमिट वाले वाहन एवं आवेदित वाहन का प्रारंभिक बिन्दु (*किसी एक तरफ से भी*) समान होने की स्थिति में नये आवेदनों के शिवाय समय–अंतराल का उपरोक्त कंडिका–**(क)** एवं **(ख)** के प्रावधान लागू होंगे।

(ii) पूर्व से निर्गत परमिट वाले वाहन का प्रारंभिक बिन्दु एवं आवेदित वाहन का मध्य बिन्दु होने की स्थिति में समय–अंतराल पहले (Before) न्यूनतम 05 मिनट तथा बाद में (After) न्यूनतम 02 मिनट का अनुमान्य होगा।

(iii) पूर्व से निर्गत परमिट वाले वाहन का मध्य बिन्दु एवं आवेदित वाहन का प्रारंभिक बिन्दु होने की स्थिति में समय–अंतराल पहले (Before) या बाद में (After) न्यूनतम 02 मिनट का अनुमान्य होगा।
(घ) मार्ग भिन्न परन्तु कॉमन रूट 40 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में समय–अंतराल संबंधी उपरोक्त कंडिका **(क),(ख) एवं (ग)** के प्रावधान लागू/मान्य नहीं होंगे।

प्राप्त आवेदन एवं आपत्तियों के सुनवाई के क्रम में प्रायः यह देखा गया है कि कतिपय आवेदकों द्वारा उक्त समय अन्तराल का अनुपालन किये बगैर परमिट हेतु आवेदन किया जाता है, जिस कारण उनके समय–सारणी में ट्रिप कटाव/बाईपास करते हुए परमिट पर विचार किया जाता है। इस विन्दु पर कई आवेदको द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि जिस वाहन के समय–सारणी से उनके आवेदित समय–सारणी का टकराव हो रहा है वह वाहन भी उनकी है अथवा उनके बैनर के अंतर्गत चलने वाली वाहन है। साथ ही कभी यह भी कहा जाता है कि जिनके वाहन के परमिट से समय का टकराव हो रहा है उनको कोई आपत्ति नहीं है एवं इस तर्क के साथ परमिट हेतु अनुरोध किया जाता है।

उपरोक्त के संबंध में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि ***उक्त मामला टाईम स्लॉट का है। परमिट यात्रियों की सुविधा हेतु बस को दी जाती है न कि किसी व्यक्ति को***। चूँकि प्रायः यह देखा गया है कि वाहन स्वामियों द्वारा Modus Operandi के तहत एक रूट में क्रमवार अपने बैनर के अंतर्गत चार–पॉच वाहनों का परमिट प्राप्त कर लिया जाता है और उसमें से एक–दो वाहनों का हीं परिचालन किया जाता है। शेष वाहनों को अन्यत्र स्थानों यथा–विद्यालय, आदि में संचालित किया जाता है तथा यात्रियों को बस के क्षमता से अधिक भरकर ले जाया जाता है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी होती है। इसलिए ऐसे टाईम स्लॉट का प्रावधान लागू किया गया है। ***यह टाईम स्लॉट सभी पर सामान रूप से लागू होगा, चाहे समय का टकराव खुद की वाहन से ही क्यों न हो रहा हो।***

6 (i) <u>उपलब्ध टाईम स्लॉट, पहले आओ–पहले पाओ (FIFO)</u> :– जिन वाहन स्वामियों के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया है, उन इच्छुक आवेदकों से अनुरोध है कि वे पुनः विहित प्रक्रिया का पालन कर प्राधिकार के आगामी बैठक में आवेदन कर सकते हैं। प्राधिकार की सम्पन्न हुई बैठक दिनांक 28.10.2024 से **"पहले आओ–पहले पाओ"** का नियम लागू किया गया है, जिसके आधार पर **ऑनलाईन आवेदन की तिथि/समय के क्रमानुसार (Server time के अनुसार)** विचार किया जाएगा।

(ii) <u>Overlapping of Route</u>:- मार्ग भिन्नता से संबंधित मामले प्रकाश में आते रहे हैं। एक मार्ग पर परमिट हेतु आवेदन प्राप्त होता है और दूसरे मार्ग पर परमिट धारक द्वारा आपत्ति दर्ज कराकर परमिट का विरोध किया जाता है। उपरोक्त के मद्देनजर प्राधिकार की बैठक दिनांक–10.09.2024 में निर्णय लिया गया था कि जब एक मार्ग दूसरे मार्ग से भिन्न हो तथा 40 प्रतिशत तक एक–दूसरे को आच्छादित करता हो तो दोनों मार्ग को भिन्न मानते हुए नियमानुसार परमिट निर्गमण की कार्रवाई की जायेगी तथा **जब एक मार्ग दूसरे मार्ग को 40 प्रतिशत से अधिक आच्छादित करता हो एवं समय का टकराव पूर्व के परमिट से आच्छादित वाहन से हो रहा हो तो उन दोनों मार्गों को भिन्न नहीं मानते हुए आपति के आलोक में नियमानुसार ट्रिप कटाव/बाईपास कर परमिट निर्गमण के बिंदु पर विचार की जायेगी।**

(iii) <u>बसों के दोनों तरफ परमिट विवरणी अंकित किया जाना</u> :– सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 4548 दिनांक 14.06.2023 एवं सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–7695, दिनांक–13.05.2024 के द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत् बसों के दोनों तरफ **परमिटधारी का नाम एवं पता सहित बस के ड्राईवर एवं कंडक्टर का नाम एवं मोबाईल नम्बर अंकित किया जाना अनिवार्य किया गया है।**

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा की सम्पन्न हुई बैठक दिनांक–10.09.2024 की कार्यवाही में सभी बस मालिकों को उपरोक्त निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया गया था।

साथ हीं समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक–20.09.2024 के अंक में एवं तत्पश्चात् पुनः समाचार पत्र हिन्दुस्तान व प्रभात खबर के दिनांक–10.10.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति/सूचना प्रकाशित कर सभी बस मालिकों को अपने बसों के दोनों तरफ **(a) परमिटधारी का नाम एवं पता (b) परमिट संख्या एवं वैधता (c) मार्ग संख्या, प्रारंभ एवं गंतव्य स्थल (d) बस के चालक एवं कंडक्टर का नाम एवं मोबाईल नम्बर** अनिवार्य रूप से अंकित करा लेने हेतु निदेशित किया गया। साथ ही प्रधिकार के सभी बैठकों में नियमित रूप से उक्त के अनुपालन हेतु निदेशित किया जाता रहा है। परन्तु अभी भी कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा उक्त का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

अतः सभी बस मालिकों को पुनः निदेशित किया गया कि वे अपने बसों के दोनों तरफ उपरोक्त सूचना अनिवार्य रूप से अंकित करा लें अन्यथा पकड़े जाने पर अधिकतम जुर्माना के साथ–साथ नियमानुसार परमिट निलंबन/रद्द करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया जायेगा।

इस संबंध में सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण प्रमंडलान्तर्गत प्रतिदिन कम से कम 20 बसों की जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे एवं जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

(अनुपालनः सभी DTO, सारण प्रमंडलन्तर्गत/सभी परमिटधारी)

(iv) <u>सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना</u>:– माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार सभी सार्वजनिक सेवा वाहनों में VLTD **(Vehicle Location Tracking Device)** स्थापित एवं सक्रिय कराया जाना अनिवार्य किया गया है। ***परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0–6479, दिनांक–30.09.2022 द्वारा*** VLTD ***स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। इसका उल्लंघन मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–177, 179 एवं धारा–190(2) का उल्लंघन माना जायेगा एवं तद्नुसार उक्त धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकेगी***। साथ ही सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा भी परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है।

उल्लेखनीय है कि प्राधिकार की सम्पन्न हुई बैठक दिनांक–30.11.2024 हेतु मिश्रा–बन्धु बैनर के अंतर्गत प्राप्त आवेदन एवं उसपर प्राप्त आपत्ति, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य में निबंधित कई बसों का उल्लेख किया गया था, जिसके सुनवाई के क्रम में पाया गया कि उन बसों में VLTD स्थापित नहीं है। इस बिंदु पर पृच्छा किये जाने पर मिश्रा बन्धु बस सेवा के स्वामी एवं अन्य उपस्थित पक्षों द्वारा बताया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य में VLTD स्थापित होना एवं सक्रिय होना अनिवार्य नहीं है।

इस बिंदु पर सभी वाहन स्वामियों को संबोधित करते हुए उन्हें सूचित किया गया कि भले हीं किसी राज्य में VLTD स्थापित होना एवं सक्रिय होना अनिवार्य नहीं हो, परन्तु यह बिहार राज्य में अनिवार्य किया गया है। इसलिए इस प्राधिकार के क्षेत्र अंतर्गत यदि किसी अन्य राज्य से निर्गत परमिट पर वाहन का परिचालन किया जाता है, तो उस वाहन में VLTD स्थापित होना एवं सक्रिय होना अनिवार्य है। अन्यथा **परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0–6479, दिनांक–30.09.2022 का उल्लंघन माना जायेगा एवं तद्नुसार संबंधित वाहन के विरूद्ध कार्रवाई की जा सकेगी।**

यह भी उल्लेखनीय है कि प्राधिकार की बैठक दिनांक–10.09.2024 के कार्यवाही में एवं समाचार पत्र "हिन्दुस्तान" के दिनांक–20.09.2024 के अंक में तथा तत्पश्चात् पुनः समाचार पत्र "हिन्दुस्तान" व "प्रभात खबर" के दिनांक–10.10.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति/सूचना प्रकाशित कर सभी बस मालिकों को अनुपालन हेतु निदेशित किया गया था। साथ ही प्रधिकार के सभी बैठकों में नियमित रूप से उक्त के अनुपालन हेतु निदेशित किया जाता रहा है। परन्तु अभी भी कतिपय बस मालिकों द्वारा अपने बस में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है।

प्राधिकार की बैठक दिनांक 29.05.2025 के लिए प्राप्त आपत्ति के आलोक में वाहन सं0– BR06PF-5542, BR05PB-8293 एवं BR05PB-8073 का VLTD जॉच में पाया गया कि उक्त तीनों वाहनों में VLTD अधिष्ठापित एवं सक्रिय तो है, परन्तु उसका डाटा VLTD कंट्रोल रूम को आज तक नहीं भेजा गया है या पिछले कई माहों से नहीं भेजा रहा है, जो परिवहन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–1557, दि0–07.03.2022 एवं पत्रांक–4156, दि0–01.06.2023 में वर्णित प्रावधान का उल्लंघन है, जिसके लिए संबंधित वाहन स्वामियों पर जुर्माना भी लगाया गया एवं ***सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया है कि वे नियमित रूप से जाँच करते रहेंगे कि उनके वाहन में अधिस्थापित VLTD उपकरण कार्य कर रहा है तथा Cellular Connectivity के द्वारा राज्य अनुश्रवण केन्द्र को आवश्यक सूचना नियमित रूप से भेज रहा है। ऐसा नहीं होने पर उनकी जानबूझकर लापरवाही मानते हुए जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जायेगी।***

अतएव् सभी बस मालिकों को पुनः निदेश दिया गया कि सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित (Install) एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके वाहन में अधिस्ठापित VLTD उपकरण कार्य कर रहा है तथा Cellular Connectivity के द्वारा राज्य अनुश्रवण केन्द्र को आवश्यक सूचना नियमित रूप से भेज रहा है। VLTD स्थापित होने एवं सक्रिय होने की स्थिति में ही परमिट निर्गत किये जायेंगे। साथ ही पूर्व से परमिट से आवृत्त वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं पाये जाने पर नियमानुसार परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जायेगा।

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण प्रमंडलान्तर्गत प्रतिदिन कम से कम 20 बसों का VLTD की जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे एवं कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन प्रतिदिन इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

(v) <u>वाहन की आयु के अनुसार प्रतिदिन दूरी</u> :–

सरकारी नियम के अनुसार बस की आयु के आधार पर प्रतिदिन परिचालन निम्न प्रकार किया जाना है :–

क्र0 सं0	बस की आयु (वर्ष में)	प्रतिदिन अधिकतम परिचालन (कि0मी0 में)
1	0–5	असीमित
2	5–10	600
3	10–15	400
4	15 से ऊपर	100

उल्लेखनीय है कि विभागीय वाहन पोर्टल पर जॉच के क्रम में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा द्वारा निर्गत परमिट वाले बसों में से ऐसे 60 बसों, जिनकी आयु **15** वर्ष से अधिक हो गई थी एवं उनके पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक था, को ससमय प्रतिस्थापन नहीं कराने की स्थिति में दिनांक 10.05.2025 को तत्काल प्रभाव से उनके परमिट को रद्द कर टाईम स्लॉट मुक्त (Free) कर दिया गया था।

अतः सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता है कि उक्त नियम का पालन करते हुए अपने वाहनों का परिचालन सुनिश्चित करेंगे। **जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैद्यता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रहा हो** एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का **परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक हो**, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा। उक्त अवधि के बाद

परिचालन पाये जाने पर विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी। **ध्यान रहे कि परिवहन विभाग के पोर्टल पर अंकित दूरी को हीं वास्तविक दूरी मानी जायेगी।**

(iv) गति सीमा :–

(क) गति सीमा का पालन :– सभी आवेदक/वाहन स्वामियों से अनुरोध किया गया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना संख्या 1377 दिनांक 06.04.2018 के अनुसार गति सीमा एवं इस प्राधिकार द्वारा तैयार की गई शपथ–पत्र **(अनुलग्नक–1)** में सभी सूचनाएँ अंकित करते हुए यह स्पष्ट एवं अनिवार्य रूप से उल्लेख करेंगे कि **आवेदित वाहन के समय–सारणी में कहीं भी गति सीमा का उल्लंघन नहीं हो रहा है एवं समय–सारणी में दो क्रमागत बस पड़ाव के बीच की दूरी एवं उसे तय करने में लगने वाला समय का स्पष्ट उल्लेख हो।** इससे आपत्तिकर्त्ता को भी सही जानकारी होगी एवं तथ्यात्मक शिकायत कर पायेंगे। विहित प्रपत्र इस कार्यवाही के कंडिका–9(i)(m) में अंकित है। विहित प्रपत्र आवेदन के साथ संलग्न नहीं रहने पर उनका आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(ख) न्यूनतम गति सीमा का पालन :–कतिपय बस मालिकों द्वारा अत्यंत धीमी गति से बसों का परिचालन किया जाता है एवं उसी के अनुरूप समय–सारणी का प्रकाशन कराया जाता है। बसों का काफी धीमी गति से परिचालन करने से यात्रियों को असुविधा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। चूँकि यात्रीगण को पूर्व से यह पता नहीं होता है कि अमूक बस कितने समय में उनके गंतव्य स्थान तक पहूँचेगी। बस में बैठने के पश्चात् उनको पता चलता है कि इस बस का परिचालन काफी धीमी गति से किया जा रहा है, जिससे उनको अपने किसी कार्य हेतु निर्धारित समय अवधि पर पहुँचने में विलंब होने के साथ–साथ अन्य कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

अतः उपरोक्त के मद्देनजर ऐसी स्थिति से कुशलतापूर्वक निपटने के लिए प्राधिकार द्वारा बसों की न्यूनतम गति सीमा निम्न प्रकार निर्धारित की गयी हैः–

1. **MMPPY बसः–** 10 कि0मी0/घंटा
2. सामान्य बसः– 20 कि0मी0/घंटा

नोटः– ***सामान्य बस की स्थिति में यदि किसी पड़ाव बिंदुओ के मध्य दूरी 5 कि0मी0 या उससे कम हो तब उस पड़ाव बिंदुओं के मध्य न्यूनतम गति सीमा 15 कि0मी0/घंटा अनुमान्य किया जा सकेगा।***

उल्लेखनीय है कि प्राधिकार की बैठक दिनांक–30.11.2024 में कतिपय वाहन स्वामियों का आवेदन समय अंतराल त्रुटिपूर्ण भरे जाने के कारण अस्वीकृत हो गया था। क्योंकि समय अंतराल में सुधार करने के पश्चात पाया गया कि कतिपय आवेदनों के समय–सारणी में अधिकतम एवं न्यूनतम गति सीमा का उल्लंघन हो रहा है। इस क्रम में आयुक्त–सह–अध्यक्ष क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा द्वारा **दिनांक–03.12.2024** को उपस्थित वाहन स्वामियों के साथ बैठक आयोजन किया गया, जिसमें समय अंतराल को सही तरीके से भरने एवं आवेदन के साथ आवश्यक कागजातों को संलग्न करने, आदि बिंदुओं पर प्रशिक्षण दी गयी। इसके बावजूद भी कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा **समय अंतराल को सही तरीके से नहीं अंकित किया जा रहा है, जिसमें सुधार करने के पश्चात् पाया जा रहा है कि आवेदित समय–सारणी में या तो अधिकतम गति सीमा का या फिर न्यूनतम गति सीमा का उल्लंघन हो रहा है।** दोनों ही स्थिति में उनके आवेदन अस्वीकृत हो रहे हैं।

अतः वाहन स्वामियों को निदेशित किया जाता है कि यदि गति सीमा के संबंध में **तथ्य छुपाने या उल्लंघन का कोई मामला प्रकाश में आता है तो प्रमादी वाहन के परमिट को नियमानुसार रद्द कर दिया जाएगा** एवं वाहन स्वामी के विरूद्ध भी नियमानुसार यथोचित कार्रवाई की जाएगी।

7. आयुक्त–सह–अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा द्वारा आर0टी0ए0 में सुगमता, पारदर्शिता एवं परमिटधारियों की सुविधा हेतु निम्न कदम उठाये गये हैं, जिसकी जानकारी विस्तार से दी जा रही है:–

(i) परमिट हेतु निर्णय **सिर्फ ऑनलाईन आवेदन एवं उसके साथ संलग्न कागजात के आधार पर** लिया जाता है। ऑफलाईन कागजात सिर्फ कार्यालय अभिलेख के लिए है। ऑनलाईन एवं ऑफलाईन आवेदन में विसंगति/भिन्नता, विशेष कर पोर्टल में दर्ज समय–सारणी एवं हार्ड कॉपी में दर्ज समय–सारणी में विसंगति/भिन्नता पाये जाने पर परमिट हेतु दी गई स्वीकृति को अस्वीकृत माना जायेगा एवं नियमानुसार आवेदन Dispose Off कर दिया जायेगा।

(ii) पूर्ण आवेदन देने हेतु **सभी जानकारी आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित की जाती है**, ताकि आवेदक को सभी आवश्यक सूचना एक ही जगह पर सुगमता से प्राप्त हो सके, यथा–मार्गवार सभी बसों की समय–सारणी, बैठक की सूचना, ऐजेण्डा, बैठक की कार्यवाही इत्यादि। आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले कागजातों का **Sample** भी वेबसाईट पर अपलोड किया गया है।

(iii) आवेदन स्वीकृति के पश्चात् निर्गत **परमिट आवेदक के पता पर निबंधित डाक द्वारा भेजी जाती है।** साथ ही निबंधित डाक पावती को परमिट के कार्यालय प्रति पर रख कर उसे **Scan** किया जाता है तथा उस परमिट की प्रति को आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट पर प्रकाशित किया किया जाता है, ताकि परमिट प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदक अपने निर्गत परमिट की **Status** की जानकारी प्राप्त कर सकें। पता गलत होने पर निबंधित डाक वापस आ जाने की स्थिति में आवेदक पर 1000=00 रूपये जुर्माना लगाया जायेगा। जुर्माना जमा करने पर ही पुनः निबंधित डाक से परमिट संशोधित पता पर भेजा जायेगा।

अतएव सभी आवेदकों से अनुरोध है कि **निबंधन पुस्तिका/ Owner book में अपना सही पता अनिवार्य रूप से अद्यतन करा लें।**

(iv) **किसी परमिट धारी/बैनर के अधीन परमिट युक्त वाहन का आवश्यक कागजात फेल होने की स्थिति में परिचालन के संबंध में कार्यालय को सूचना** :– *प्राप्त आवेदन की समीक्षा के क्रम में अथवा इस संबंध में आपत्ति प्राप्त होने की स्थिति में प्रायः वाहन स्वामियों द्वारा कहा जाता है कि उनके द्वारा वैसे किसी वाहन, जिसका आवश्यक कागजात फेल है का परिचालन नहीं किया जा रहा है अथवा कागजात फेल होने की अवधि में परिचालन नहीं किया गया है।*

अतः इस संबंध में सभी वाहन स्वामियों को अवगत कराया जाता है कि यदि उनके बैनर के अंतर्गत संचालित होने वाले वाहन का कोई भी मान्य कागजात फेल है एवं उसका परिचालन वे नहीं कर रहे हैं, तो इसकी सूचना ससमय कार्यालय को देगें अन्यथा यह माना जायेगा कि उनके द्वारा उक्त वाहन का परिचालन किया गया है/किया जा रहा है (deemed operation of vehicle on road) एवं उक्त के अनुसार कार्रवाई/जुर्माना की जायेगी।

(v) **V.L.T.D. रिपोर्ट एवं Toll Plaza से रिपोर्ट प्राप्त कर वाहन के परिचालन** के संबंध में जानकारी प्राप्त कर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। इसलिए सभी वाहन स्वामी अपने बैनर अंतर्गत परिचालित होने वाले वाहनों का सभी कागजात अद्यतन रखें। टॉल प्लाजा से वाहन यदि गुजरा है तो वाहन परिचालन का प्रमाण माना जायेगा।

(vi) आवेदन एवं एजेन्डा पर दावा/आपत्ति प्राप्त कर एवं उस पर विचारोपरांत निर्णय लिया जाता है।

(vii) गंभीर आपत्ति के मामले में व्यक्तिगत सुनवाई कर मामले का निस्तारण किया जायेगा।

(viii) **शिकायत हेतु E-mail :–** यदि किसी व्यक्ति को कोई शिकायत हो तो **E-mail id- rtasaranbihar@gmail.com** पर अपनी शिकायत भेज सकते हैं। शिकायत सही होने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी वाहन स्वामी को कोई कार्य हो तथा कोई अभिलेख जमा करना अथवा प्राप्त करना हो तो कार्यालय के काउण्टर नम्बर 01 से सम्पर्क कर अपने कार्यों का निष्पादन करा सकते हैं। यदि उन्हें कार्यालय आना पड़े तो प्राथमिकता के आधार पर पहले संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण से मिल कर अपने कार्यों का निष्पादन करा सकते हैं। उनसे संतुष्ट नहीं होने पर आयुक्त–सह–अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा से मिलकर अपनी कार्यों के निष्पादन के संबंध में बात कर सकते हैं।

(ix) **बैठक में हंगामा करने वाले पर कड़ी कार्रवाई :–** सभी आवेदकों एवं आपत्तिकर्त्ताओं को सख्त हिदायत दी गई कि वे **बैठक में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखेंगे, आपस में झगड़ा या हंगामा नहीं करेंगे** अन्यथा उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। यदि कोई बात V.C. के माध्यम से बैठक में नहीं रख पाते हैं तो अगले कार्य दिवस को अपराहन् 01:00 बजे तक सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा से मिलकर अपनी बात रख सकते हैं।

(x) समय–समय पर समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर भी परमिटधारी/वाहन स्वामियों को प्राधिकार के निर्णय से अवगत कराया गया है, जिसकी संक्षिप्त विवरणी निम्नवत् है:–

क्रं0 सं0	विषय	कार्यालय पत्रांक एवं दिनांक	समाचार पत्र	प्रकाशन की तिथि
1.	वाहन के कागजात अद्यतन नही रहने पर जुर्माना, बसों के दोनों तरफ परमिट विवरणी अंकित करने एवं VLTD स्थापित व सक्रिय कराने के संबंध में।	पत्रांक–188, दिनांक–14.09.2024	हिन्दुस्तान	20.09.2024
2.	वाहन के कागजात अद्यतन नही रहने पर जुर्माना, बसों के दोनों तरफ परमिट विवरणी अंकित करने एवं VLTD स्थापित व सक्रिय कराने के संबंध में। साथ हीं 167 प्रमादी वाहनों को भेजे गये नोटिस के संबंध में।	पत्रांक–380, दिनांक–04.10.2024	हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर	10.10.2024
3.	प्रमादी वाहनों का परमिट रद्द करने के संबंध में।	पत्रांक–528, दिनांक–15.11.2024	दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर	16.11.2024
4.	ऑफलाईन परमिटों को वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर में इंट्री के संबंध में।	पत्रांक–529, दिनांक–15.11.2024	द टाईम्स ऑफ इंडिया, हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर	19.11.2024 20.11.2024
5.	परमिट से आवृत्त 15 वर्ष से अधिक आयु वाले वाहनों के परमिट प्रतिस्थापन के संबंध में।	पत्रांक–48, दिनांक–29.03.25	हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर	04.04.2025
6	परमिट से आवृत्त 15 वर्ष से अधिक आयु वाले वाहनों के परमिट प्रतिस्थापन के संबंध में।	पत्रांक–148, दिनांक–30.04.25	हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण	03.05.2025
7	फर्जी बीमा कराकर बस का परिचालन करने के विरूद्ध कार्रवाई करने के संबंध में।	–	हिन्दुस्तान	25.05.2025

8. सामान्य निदेशः—

(i) इस प्राधिकार से निर्गत परमिट को मुजफ्फरपुर प्राधिकार से प्रतिहस्ताक्षर कराना :— उन सभी बसों को जिनके परमिट मुजफ्फरपुर प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, वे परमिट निर्गमण की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर वहाँ प्रतिहस्ताक्षर कराने हेतु आवेदन देना सुनिश्चित करेंगे एवं उसका साक्ष्य इस कार्यालय में समर्पित करेंगे। परमिट निर्गत करने की तिथि से दो महीने के अन्दर **यदि प्रतिहस्ताक्षर कराकर उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द किया जा सकता** है। अधिकतर परमिटधारी इस शर्त्त का अनुपालन नहीं कर रहे हैं।

किसी भी आवेदक या ग्रुप के वाहन का पूर्व में निर्गत परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं किया जाता है तो प्रति लंबित वाहन पर 5000=00 रूपये प्रतिमाह की दर से जुर्माना लगाया जायेगा एवं भविष्य में उनके किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

(अनुपालनः आर0टी0ए0 सचिव/सभी परमिटधारी)

(ii) अन्य प्राधिकार से निर्गत परमिट को प्रतिहस्ताक्षर कराना :— जिन बसों का परमिट दूसरे प्राधिकार से निर्गत है, परन्तु बिना प्रतिहस्ताक्षर के इस प्राधिकार में वाहन का परिचालन किया जा रहा है, वैसे बसों के स्वामियों से अनुरोध है कि बिना प्रतिहस्ताक्षर के इस प्राधिकार में बसों का परिचालन न करें, अन्यथा पकड़े जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यदि प्रतिहस्ताक्षर रहित बस के स्वामी द्वारा तथ्य छुपाकर परमिट हेतु आवेदन किया जाता है, तो जानकारी प्राप्त होने पर संबंधित बस जिस बोर्ड, समूह/बैनर के अधीन परिचालित हो रही है, उस बोर्ड, समूह/बैनर के किसी भी आवेदन/आपत्ति आवेदन पर विचार नहीं करने का निर्णय सर्वसम्मति से प्राधिकार द्वारा लिया गया है। कुछ वाहन स्वामियों द्वारा दूसरे प्राधिकार से परमिट प्राप्त कर इस प्राधिकार में अपनी वाहन का परिचालन कर रहे हैं, लेकिन प्रतिहस्ताक्षर हेतु इस प्राधिकार में परमिट एवं समय—सारणी के साथ प्रकाशन के लिए आवेदन नहीं कर रहे हैं। बिना प्रतिहस्ताक्षर इस प्राधिकार में वाहन का परिचालन नियमानुकूल नहीं है। वैसे वाहनों के स्वामी इस प्राधिकार से प्रतिहस्ताक्षर हेतु आवेदन ऑनलाईन या काउन्टर नं0—1 पर समर्पित करेंगे।

यदि किसी वाहन का स्टेज कैरेज परमिट किसी अन्य राज्य के परिवहन प्राधिकार से निर्गत है एवं उसका परिचालन मार्ग बिहार राज्य/इस प्राधिकार के क्षेत्रान्तर्गत पड़ता है, तो उस परमिट को भी राज्य परिवहन प्राधिकार बिहार, पटना से प्रतिहस्ताक्षर होना/कराया जाना अनिवार्य है। प्राप्त आसूचना के अनुसार एवं बसों के जॉच के क्रम में ऐसे मामले प्रकाश में आये हैं कि झारखंड एवं उत्तर प्रदेश राज्य से परमिट प्राप्त कर बिना प्रतिहस्ताक्षर के हीं इस राज्य/सारण प्राधिकार के क्षेत्रान्तर्गत वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो कि नियमानुकूल नहीं है।

अतः सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण प्रमण्डलान्तर्गत को निदेश दिया जाता है कि ऐसे वाहनों की जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अगली बैठक से पूर्व की गयी कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालनः सभी डी0टी0ओ0 सारण, प्रमण्डलान्तर्गत/आर0टी0ए0 सचिव/सभी परमिटधारी)

(iii) परमिट प्रतिहस्ताक्षर अस्वीकृत होने की स्थिति में पुनः परमिट हेतु आवेदनः— यदि किसी वाहन का निर्गत परमिट का प्रतिहस्ताक्षर अन्य प्राधिकार से अस्वीकृत हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में पूर्व से धारित परमिट प्रत्यर्पण करने के पश्चात् हीं नये परमिट हेतु आवेदन किया जाय। बिना परमिट प्रत्यर्पण किये नये परमिट हेतु आवेदन करने की स्थिति में यह माना जायेगा कि प्रतिहस्ताक्षर अस्वीकृत होने के पश्चात् भी उक्त परमिट पर पूरे मार्ग में वाहन का परिचालन किया जा रहा है और इस आधार पर जुर्माना के साथ एवं पूर्व परमिट प्रत्यर्पण करने के शर्त पर परमिट की स्वीकृति दी जायेगी। ***परमिट की प्रतिहस्ताक्षर अन्य प्राधिकार से अस्वीकृत होने की स्थिति में छः माह के पूर्व भी परमिट का प्रत्यर्पण किया जा सकता है।***

(iv) <u>**कार्यालय द्वारा कागजात की जाँच करना**</u> :– परमिट निर्गत करने से पूर्व वाहन के सभी मान्य कागजात यथा प्रदूषण प्रमाण–पत्र, बीमा, दुरुस्ती प्रमाण–पत्र, टैक्स, लंबित जुर्माना, वी0एल0टी0डी0, विहित प्रपत्र में मोटरयान निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन, अधिरोपित जुर्माना, शपथ–पत्र इत्यादि की जाँच कर एवं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार संबंधित डाटा इन्ट्री ऑपरेटर परमिट प्रिंट करेंगे। तत्पश्चात् संबंधित लिपिक द्वारा पुनः उपर्युक्त तथ्यों की जाँच कर हस्ताक्षर हेतु परमिट उपस्थापित की जायेगी।

(अनुपालनः आर0टी0ए0 सचिव/लिपिक/ऑपरेटर)

(v) <u>**परमिट सिर्फ यात्री परिवहन हेतु**</u> :– ऐसी भी शिकायते प्राप्त हो रही है कि वाहन स्वामियों द्वारा परमिट स्टेज कैरेज के नाम पर प्राप्त किया जाता है परन्तु उसका परिचालन स्कूल बस के रूप में कराया जाता है। टाईम स्लॉट घेर कर रखने से अन्य वाहन परमिट प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। प्राधिकार से स्टेज कैरेज परमिट प्राप्त कर स्कूल बस के रूप में परिचालित होने वाले बसों पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए परमिट रद्द करने का निर्णय लिया गया है। **बस में व्यावसायिक उपयोग हेतु सामान ढोना/छत पर सामान रखना प्रतिबंधित है।** इससे विद्युत तार से सम्पर्क होने एवं दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। इस संबंध में आयुक्त–सह–अध्यक्ष द्वारा सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण प्रमण्डलान्तर्गत को निदेश दिया गया कि इस तरह के मामले की जाँच कर विधि सम्मत् कार्रवाई करना सुनिशिचित करेगें। CCTV footage/Toll Plaza के प्रतिवेदन के आधार पर भी जुर्माना/कार्रवाई की जा सकती है।

कतिपय वाहन स्वामी स्टेज कैरेज (पाँच वर्ष) का परमिट प्राप्त कर स्कूल बस में परिचालित करते हैं एवं टाईम स्लॉट घेर कर रखते हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी होती है। **प्राधिकार की बैठक दिनांक–30.12.2024 में ऐसा एक मामला संज्ञान में आया था, जिसका परमिट रद्द करने का निर्णय प्राधिकार द्वारा लिया गया था।**

स्टेज कैरेज का परमिट प्राप्त कर यात्री बस के रूप में परिचालन नहीं करना परमिट के शर्त्तों का उल्लंघन है। शिकायत प्राप्त होने पर ऐसे सभी वाहनों की जाँच करायी जायेगी एवं परिचालन नहीं पाये जाने की स्थिति में कार्रवाई करते हुए नियमानुसार परमिट रद्द कर दिया जायेगा।

(अनुपालनः सभी डी0टी0ओ0 सारण, प्रमण्डलान्तर्गत/सभी परमिटधारी)

(vi) <u>**आपत्तिकर्ता का दायित्व**</u> **:-** आपत्तिकर्ता द्वारा अपने जिस वाहन से दूसरे वाहन के परमिट हेतु प्राप्त आवेदन पर आपत्ति दिया जाता है, उस वाहन का भी सभी मान्य कागजात यथा– टैक्स, दुरुस्ती प्रमाण–पत्र, बीमा, प्रदूषण प्रमाण–पत्र, VLTD इत्यादि अद्यतन होना अनिवार्य है, तभी उनके आपत्ति आवेदन पर विचार किया जाएगा। यदि आपत्तिकर्ता/उनके ग्रुप के किसी भी वाहन के कागजात अद्यतन नहीं है या जुर्माना बकाया है तो ऐसी स्थिति में आपत्तिकर्ता पर देय जुर्माना के अतिरिक्त 10000=00 रूपये का जुर्माना लगाने का निर्णय प्राधिकार द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया है। इससे आपत्तिकर्ता आपत्ति से पहले अपने **स्वयं के वाहनों के कागजात नियमसंगत है या नहीं, का सत्यापन कर ही आपत्ति देने के लिए प्रेरित होंगे।** आपत्ति के लिए विहित प्रपत्र में सभी विवरणी अंकित कर निर्धारित समय सीमा में कार्यालय के काउन्टर नं0–01 अथवा कार्यालय के ई–मेल– rtasaranbihar@gmail.com पर भेजें, इससे कार्यालय को कार्यावली तैयार करने में सुगमता होगी।

प्रायः यह देखा गया है कि कतिपय वाहन स्वामी तथ्यात्मक आपत्ति नहीं करते हैं एवं स्वयं के संबंध में कई बिन्दुओं को छुपाकर शिकायत करते हैं। इस क्रम में बैठक में उपस्थित सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि प्राधिकार की आगामी बैठक से स्वयं के बैनर के अंतर्गत संचालित वाहनों की विवरणी शपथ–पत्र/स्व–घोषणा पत्र में उल्लेखित करते हुए तथ्यात्मक शिकायत करेंगे एवं शिकायत के संबंध में शिकायत का आधार एवं तत्संबंधी वांछित साक्ष्यों की प्रति भी संलग्न

*करेंगे, जिससे उनके शिकायत पर विचारोपरान्त उचित निर्णय लिया जा सके। सुलभ प्रसंग हेतु शपथ–पत्र/स्व–घोषणा पत्र एवं आपत्ति आवेदन दाखिल करने संबंधी आवेदन–पत्र का **Sample** प्रारूप कार्यालय के बेवसाईट पर **Sample Document** के सेक्शन में सुलभता हेतु **Upload** कर दी गई है।*

नोटः– (1) यथासंभव वाहन स्वामी के तरफ से ही आपत्ति दाखिल किया जायेगा एवं बैठक में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा जायेगा। विशेष परिस्थिति में ही वाहन स्वामी के तरफ से अन्य व्यक्ति द्वारा आपत्ति दाखिल किया जायेगा एवं बैठक में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा जायेगा, जिसके लिए वाहन स्वामी के तरफ से विधिवत रूप से प्राधिकृत पत्र/एकरारनामा की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में आपत्ति आवेदन को प्राधिकार द्वारा खारिज किया जा सकता है।

(2) आवेदित मार्ग से भिन्न मार्ग पर समय टकराव के बिंदू पर आपत्ति करने की स्थिति में आपत्तिकर्त्ता अपने जिस वाहन से आपत्ति कर रह रहे हैं, वे उस परमिट के मार्ग का नक्शा अनिवार्य रूप से संलग्न करेंगे, ताकि स्पष्टता से जॉच की जा सके कि आवेदित मार्ग एवं आपत्तिकर्त्ता के परमिट का मार्ग एक–दूसरे को कितना प्रतिशत आच्छादित कर रही है।

(अनुपालनः संबंधित वाहन स्वामी/संबंधित आपत्तिकर्त्ता)

9. **नये आवेदन** :–

(i) परमिट हेतु आवश्यक कागजात :– परमिट हेतु निर्णय ऑनलाईन आवेदन एवं उसके साथ संलग्न कागजात के आधार पर लिया जाता है, परन्तु किसी प्रकार की त्रुटि न हो तथा कार्यालय अभिलेख के लिए आवश्यक कागजातों की पठनीय एवं स्वअभिप्रमाणित प्रति कार्यालय में काउण्टर संख्या–01 पर जमा कराना या ई–मेल rtasaranbihar@gmail.com पर भेजना आवश्यक है। अतएव सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता है कि निम्न कागाजातों के साथ आवेदन करेंगेः–

(a) निबंधन–पुस्त की स्व–अभिप्रमाणित प्रति।

(b) टैक्स की स्व–अभिप्रमाणित प्रति।

(c) दुरूस्ती प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित प्रति।

(d) बीमा प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित प्रति।

(e) प्रदूषण प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित प्रति।

(f) वाहन के अन्दर, बाहर एवं चारों तरफ का वाहन स्वामी के साथ रंगीन फोटोग्राफ आवेदन के साथ संलग्न करेंगे। इससे वाहन के अन्दर बैठान क्षमता, ए0सी0/नॉन ए0सी0, उस बस पर अंकित समूह/बैनर, बस संख्या एवं बसों के दोनों तरफ अंकित परमिट की विवरणी आदि का पता चल सके।

(g) परमिट आवेदन पर मार्ग संख्या अंकित करते हुए यह भी उल्लेख करेंगे कि वाहन स्लीपर है या सीटर है।

(h) विहित प्रपत्र में शपथ–पत्र (*अनुलग्नक–1*)।

(i) VLTD स्थापित एवं सक्रिय होने संबंधी विवरणी की स्व–अभिप्रमाणित प्रति।

(j) मार्ग का वैध नक्शा।

(k) मोटरयान निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन (विहित प्रपत्र अनुलग्नक–2 में) ऑनलाईन आवेदन के List of Documents के क्रमांक 22 में फिटनेश प्रमाण–पत्र के साथ स्कैन कर अपलोड करेंगे।

(l) वाहन स्वामी का नाम एवं पूर्ण पता (पिन कोड सहित) लिखित लिफाफा 27 रूपये के डाक टिकट के साथ, ताकि सही पते पर परमिट भेजा जा सके।

(m) समय–सारणी (विहित प्रपत्र में) –दो क्रमागत बस पड़ाव के बीच की दूरी एवं उसे तय करने में लगे समय का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है। दूरी एवं संगत समय का गलत उल्लेख करने पर आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

प्रपत्र

वाहन संख्या–.............. रूट संख्या–.......... (..................से............तक) वाया–.............

पड़ाव स्थल	वाहन के आगमन का समय	वाहन के प्रस्थान का समय	दो क्रमागत बस पड़ावों के बीच की दूरी	उक्त दूरी को तय करने में लगने वाला समय

(ii) <u>**अपूर्ण आवेदन**</u> :- प्रायः ऐसा देखा गया है कि कई आवेदक परमिट हेतु आवेदन करते समय भूल कर देते हैं। जैसेः– वाहन की निबंधन संख्या लिखने में, तो कुछ का समय–सारणी में **दो क्रमागत बस पड़ाव के बीच की दूरी** एवं उस दूरी को तय करने में लगने वाले समय लिखने में, या वाहन के चारों तरफ का फोटो संलग्न करने में, VLTD ऑनलाइन नहीं कराने में या मोटरयान निरीक्षक का प्रतिवेदन (विहित प्रपत्र में) संलग्न नहीं करने में, या शपथ–पत्र में बैनर का नाम नहीं लिखने में।

ऐसे मामलो को प्रत्येक लिपिकीय भूल/त्रुटि के लिए 5000/–रूपये की दर से जुर्माना लगाकर उनके आवेदन पर विचार करने का निर्णय प्राधिकार द्वारा लिया गया है।
चूँकि अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण आवेदन से समय–सारणी एवं अन्य बिन्दुओं की सही जानकारी प्रतिद्वंदी अथवा पूर्व परमिटधारी नहीं हो पाने के कारण उचित आपत्ति देने एवं सही तथ्यों की जानकरी नहीं रहने पर कर्यालय से भी गलती होने की संभावना रहती है। त्रुटिपूर्ण आवेदन पर जुर्माना लगाते हुए विचार करने का निर्णय प्राधिकार द्वारा आवेदकों को त्रुटिरहित आवेदन के लिए प्रेरित करने एवं पारदर्शिता हेतु लिया गया है। **यह सिर्फ एक विकल्प होगा, यदि आवेदकगण जुर्माना नहीं देना चाहेगें तो वे पुनः नियमानुसार एवं विहित प्रक्रियानुसार शुल्क जमा कर उपलब्ध रिक्त Time slot में आवेदन कर सकते हैं तथा** जो आवेदक जुर्माना जमा करने का विकल्प चुनते हैं, वे जुर्माना की राशि Tax Receipt शीर्ष **R0041001020014-00-03** में जमा कराकर कार्यालय में विहित प्रपत्र में शपथ–पत्र के साथ सूचना देगें। तत्पश्चात् परमिट निर्गत किया जाएगा।

यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी स्थिति में आवेदित समय–सारणी (Time-Table) में सुधार/संशोधन एवं अन्य साक्ष्य को संलग्न नहीं किया जायेगा। ऐसे अपूर्ण आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा, जिसके लिए वाहन स्वामी स्वयं जिम्मेवार होंगे।

(अनुपालनः आर0टी0ए0 सचिव/सभी परमिटधारी)

(iii) <u>**आवेदक/आपत्तिकर्त्ता या उनके बैनर के तहत संचालित वाहनों पर जुर्माना लंबित होने पर भी परमिट हेतु आवेदन/आपत्ति करने पर अतिरिक्त जुर्माना**</u> :– यदि किसी आवेदक/आपत्तिकर्त्ता द्वारा अपने वाहन पर जुर्माना की राशि लंबित होने के बावजूद आवेदन/आपत्ति समर्पित किया जायेगा तो लंबित जुर्माना के अतिरिक्त जुर्माना लगाया जायेगा। डिफॉल्टर होने के बावजूद आवेदन/आपत्ति समर्पित करना नियमानुकूल नहीं है, क्योंकि जो आवेदक/आपत्तिकर्ता स्वयं कानून का उल्लंघन कर रहा है या Defaulter है उसे लाभ/अपना दावा/परमिट प्राप्त करने का कोई हक नहीं है। **ऐसे आवेदकों/आपत्तिकर्ताओं पर लंबित जुर्माना के अतिरिक्त 10000/– रूपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाने का निर्णय प्राधिकार द्वारा लिया गया है, ताकि वाहन स्वामी अपने वाहन पर बकाये जुर्माना एवं टैक्स ससमय जमा करने हेतु प्रेरित होंगे।**

यदि जुर्माना लंबित रहने की स्थिति में प्राधिकार द्वारा अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाता है अथवा आवेदन अस्वीकृत किया जाता है तो इसके लिए वाहन स्वामी स्वयं जिम्मेवार होंगे।

अतः बस मालिकों से अनुरोध है कि यदि आपके ग्रुप/बैनर के किसी वाहन पर पूर्व से अधिरोपित जुर्माना बकाया है, तो बकाया जुर्माना जमा करने के पश्चात् हीं नये परमिट हेतु आवेदन करें एवं यदि आवेदन करने के पश्चात् आपके ग्रुप/बैनर के किसी वाहन पर जुर्माना अधिरोपित हो जाता है तो उसे क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की बैठक से पहले निश्चित रूप से जमा कर दें।

(iv) <u>प्राधिकार की बैठक में भाग लेना</u> :– प्राधिकार की बैठक में संबंधित वाहन के स्वामी या उनके **वैध प्रतिनिधि** (विधिवत् रूप से प्राधिकृत एवं आई0डी0 कार्ड के साथ) ही भाग लेंगे। कई वाहन स्वामी अन्य आवेदकों के लिए आवेदन देते हैं या बैठक में पक्ष रखते हैं। वैसे आवेदकों को प्राधिकार द्वारा एक ही बैनर के अंतर्गत वाहन परिचालित करना माना जायेगा एवं किसी एक आवेदक पर जुर्माना लंबित होने की स्थिति में उस बैनर के सभी आवेदकों का आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(v) <u>कार्यवाही में अंकित एवं अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी वाहनों के कागजात की जाँच करना</u>:– संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक, प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक, सारण प्रमण्डल अंतर्गत को निदेश है कि प्राधिकार की कार्यवाही में अंकित सभी वाहनों एवं अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत परिचालित होने वाले वाहनों के सभी कागजातों यथा–टैक्स, फिटनेश, बीमा, प्रदूषण, VLTD, परमिट आदि की जॉचकर नियमानुसार जुर्माना एवं कार्रवाई करेंगे तथा सभी कागजात अद्‌यतन करवाना सुनिश्चत करेंगे। **अद्यतन कागजात के बिना वाहन के परिचालन होने पर संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी/अपर जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्त्तन निरीक्षक/प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक की भी जवाबदेही तय की जायेगी।**

अतएव सभी जिला परिवहन पदाधिकारी कार्यवाही में अंकित वाहनों के साथ–साथ अपने क्षेत्राधिकार में निबंधित एवं परिचालित होने वाले सभी वाहनों की कागजातों की जाँच करना सुनिश्चित करेंगे कि बिना अद्यतन कागजात वाले वाहनों का परिचालन न हो एवं कृत कार्रवाई की सूचना इस कार्यालय को भी उपलब्ध करायेगें।

(vi) <u>कार्यालय में हंगामा करने वाले पर कड़ी कार्रवाई</u> :– सभी बस मालिकों को निदेश दिया गया कि कार्यालय में ऑनलाईन या E-mail के माध्यम से आवेदन समर्पित करेगें। यदि किसी कार्य हेतु कार्यालय में आना पड़े तो काउण्टर संख्या–1 पर आवेदन समर्पित करेंगे। यदि किसी कार्यालय कर्मी के कार्य/व्यवहार से असंतुष्ट हो तो आर0टी0ए0 सचिव से इसकी शिकायत कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में कार्यालय कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। कार्यालय में हंगामा करने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

(vii) <u>समान मार्ग संख्या वाले परमिट से ही कार्यालय अभ्युक्ति</u> :– कार्यालय द्वारा आवेदित वाहन के समय पर समान मार्ग संख्या वाले सभी परमिटों के प्रारंभिक/मुख्य बिन्दु पर अंकित समय का मिलान किया जाता है एवं टकराव पाये जाने की स्थिति में कार्यालय अभ्युक्ति में अंकित कर ट्रिप कटाव किया जाता है। अन्य मार्ग संख्या वाले परमिट से आपत्ति प्राप्त होने पर उसी आवेदन के संबंध में विचार किया जाता है, जिसपर आपत्ति प्राप्त हुई है। **मुख्य बिन्दु या मध्य बिन्दु पर समय का टकराव होने की स्थिति में आवेदित वाहन को बाईपास/ट्रिप कटाव किया जाता है। प्राधिकार द्वारा 40 प्रतिशत से अधिक कॉमन रूट को समान रूट मानकर ट्रिप कटाव किया जाता है।**

(viii) <u>**यात्रियों की सुविधा हेतु परमिट को निर्गत किया जाना**</u> :– क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु परमिट स्वीकृत किया जाता है। कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा **लगातार टाईम स्लॉट में चार–पाँच परमिट प्राप्त किया जाता है एवं एक वाहन का परिचालन किया जाता है।** टाईम–स्लॉट घेर कर रखा जाता है ताकि अन्य आवेदक उक्त समय पर आवेदन न कर सके।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि शिकायत प्राप्त होने पर ऐसे सभी वाहनों का VLTD रिपोर्ट एवं टॉल प्लाजा रिपोर्ट प्राप्त कर परिचालन होने के संबंध में जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं **परमिट से आवृत्त वाहनों का परिचालन नहीं पाये जाने की स्थिति में नियमानुसार परमिट रद्द कर दिया जाएगा एवं टाईम–स्लॉट फ्री कर दिया जाएगा, ताकि उक्त टाईम–स्लॉट पर अन्य वाहन स्वामी आवेदन कर सके, जिससे कि यात्रीगणों को सुविधा मिल सके।**

(ix) <u>स्टेज कैरेज परमिट प्राप्त बसों का विशेष परमिट प्राप्त कर हमेशा टूर में परिचालन करना</u>:– कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा इस प्राधिकार से स्टेज कैरेज परमिट (टाईमिंग परमिट) लेकर इस प्राधिकार से एवं अन्य प्राधिकार से भी विशेष परमिट प्राप्त कर बस का टूर में परिचालन किया जाता है और टाईम स्लॉट घेर कर रखा जाता है, जिससे उस समय–अवधि में बस का परिचालन नहीं होने से आम जनों को यात्रा करने में परेशानी हो सकती है। परमीटधारी द्वारा Modus Operandi के तहत एक रूट में क्रमवार (एक के पीछे एक) अपने बैनर के अंतर्गत चार–पॉच वाहनों का परमिट प्राप्त कर लिया जाता है और उसमें से अपने आखिरी बस से पहले वाले किसी बस का विशेष परमिट प्राप्त कर अन्यत्र स्थानों पर परिचालन किया जाता है, जिससे यात्रियों को उस समय अवधि में कोई वाहन नहीं मिल पाता है और इस परिस्थिति का लाभ उठाकर वाहन स्वामी द्वारा अपने अगले बस में यात्रियों को बस के क्षमता से अधिक भरकर ले जाया जाता है।

उपरोक्त के मद्देनजर प्राधिकार द्वारा पूर्व में निर्णय लिया गया था कि टाईमिंग परमिट प्राप्त बसों का इस प्राधिकार से या अन्य प्राधिकार से भी एक कैलेण्डर माह में सिर्फ एक हीं बार अधिकतम एक सप्ताह के लिए विशेष परमिट प्राप्त कर परिचालन किये जाने की अनुमति होगी, **जिसे वाहन स्वामियों के अनुरोध के आलोक में संशोधित किया जाता है। अब एक कैलेण्डर माह में दो बार विशेष परमिट प्राप्त कर परिचालन किये जाने की अनुमति दी जा सकेगी।** इस प्रावधान का अनुपालन नही कर अन्य प्राधिकार से विशेष परमिट लेकर टूर पर परिचालन करने वाले बसों का परमिट रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है।

(x) <u>फर्जी बीमा प्रमाण–पत्र के संबंध में कार्रवाई</u> :– प्राप्त सूचनानुसार कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा अपने वाहन का फर्जी बीमा प्रमाण–पत्र बनवाकर परिचालित किया जा रहा है। फर्जी बीमा प्रमाण–पत्र वाले वाहनों की दुर्घटना, आदि की स्थिति में पीड़ितों को कोई दावा/मुआवजा, आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

इस क्रम में आयुक्त–सह–अध्यक्ष के आदेशानुसार दिनांक–28.01.2025 को सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा द्वारा छपरा शहर में स्थित बीमा कम्पनियों के शाखा प्रबंधकों के साथ बैठक आहूत की गई, जिसमें कतिपय शाखा प्रबंधकों द्वारा बताया गया कि ऐसे कतिपय मामले उनके संज्ञान में भी आया है कि बस की बीमा के कागजात देखने में तो वास्तविक प्रतीत होते हैं, परन्तु जॉच के क्रम में वह जाली पाये जाते हैं। साथ हीं यह भी बताया गया कि कई ऐसे भी मामले संज्ञान में आये है, जिसकी बीमा विवरणी यथा–बीमा की वैधता अवधि, आदि एम–परिवहन पर भी प्रदर्शित हो रहे थे, परन्तु जॉच के क्रम में पाया गया कि वास्तविकता में वह बीमा या तो जाली है या तो वह बीमा उस बस का न होकर किसी अन्य दुपहिया वाहन अथवा गैर व्यावसायिक वाहन के बीमा पॉलिसी में हेर–फेर (Manipulate) कर बनाया गया है।

उल्लेखनीय है कि प्राधिकार की बैठक दिनांक 29.04.2025 में सुनवाई के क्रम में शिकायत किया गया था कि निम्नांकित वाहनों का बीमा फर्जी है। इस वाहनों पर प्रदर्शित बीमा बस का नहीं बल्कि दोपहिया वाहन का है:–

(i) वाहन सं0–BR29PA-0160 (बस), वाहन स्वामी श्री बब्लू राय, पिता–श्री दीनानाथ राय, ग्राम–पांडेयपुर, पो0–डूमरहर, थाना–गुठनी, जिला–सिवान।

(ii) वाहन सं0–BR28G-2089 (बस), वाहन स्वामी श्री अमरेन्द्र कुमार, पिता–श्री ललन सिंह, ग्राम+पो0–सोनवलिया, गोपालगंज।

उक्त दोनों बसों पर प्रदर्शित बीमा की जाँच कराने के पश्चात् पाया गया कि उक्त बसों का **बीमा बस का नहीं बल्कि दोपहिये वाहन की है।**

(iii) **इसी प्रकार BR29P-9935, वाहन स्वामी–श्री धीरज कुमार राय पिता–श्री मंकेशव राय का बीमा फर्जी होने का मामला प्रकाश में आया था, जो कई माहों से फर्जी बीमा के साथ परिचालन किया जा रहा था। जब मामला प्रकाश में आया तो वाहन स्वामी द्वारा दिनांक–26.04.2025 को सही बीमा कराया गया।**

उक्त तीनों बसों के वाहन स्वामी/प्रतिनिधि पर दिनांक 21.05.20025 को नगर थाना, छपरा, सारण में भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रथमिकी (FIR) दर्ज करा दी गई है।

विदित हो कि *फर्जी बीमा के आधार पर वाहन का संचालन करना BNS के तहत गंभीर आपराधिक कृत्य है एवं MV Act,1988, CMV Rule,1989 एवं बिहार मोटर वाहन नियमावली, 1992 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। साथ हीं यात्रीगणों को दुर्घटना की स्थिति में कोई मुआवजा/लाभ भी देय नहीं हो सकेगा।*

अतएव इस संबंध में प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि सभी बसों का बीमा प्रमाण–पत्र की जॉच सक्षम प्राधिकार/संबंधित ऐजेंसी से करायी जायेगी। यदि किसी वाहन का बीमा प्रमाण–पत्र फर्जी पाया जायेगा तो संबंधित वाहन का परमिट रद्द करने के साथ–साथ संबंधित वाहन स्वामी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर विधिसम्मत् कार्रवाई की जाएगी।

(xi) **<u>बैठक के तिथि से दो दिन पूर्व परमिट प्रत्यर्पण करना</u>** :– वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता है कि ***वैसे परमिट जिसके टाईम स्लॉट से किसी आवेदित वाहन के टाईम स्लॉट से टकराव हो रहा हो एवं उस परमिट को वे प्रत्यर्पित करना चाहते है, तो वे ऐसे परमिट को प्राधिकार की बैठक की तिथि से दो दिन पूर्व तक कार्यालय में प्रत्यर्पित कर सकते हैं, ताकि उक्त टाईम स्लॉट को रिक्त मान कर आवेदित वाहन को परमिट स्वीकृत करने पर विचार किया जा सके, अन्यथा उक्त अवधि के बाद परमिट प्रत्यर्पण करने पर प्रत्यर्पित परमिट के टाईम स्लॉट को रिक्त नहीं मानते हुए आवेदित वाहन के परमिट पर विचार किया जायेगा।***

(xii) **<u>दो पड़ावों के बीच दूरी</u>** :– कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा अलग–अलग दूरी के संबंध में साक्ष्य/आपत्ति दिया जाता है। इस संबंध में प्राधिकार के पूर्व निर्णय के अनुसार **विभागीय सॉफ्टवेयर में अंकित दूरी को सही मानकर परमिट स्वीकृत/निर्गत करने पर विचार किया जाता है।** यदि किसी वाहन स्वामी द्वारा दूरी के संबंध में प्रतिवाद/आवेदन दिया जाता है तो उक्त दूरी के संबंध में सक्षम पदाधिकारी/जिला परिवहन पदाधिकारी से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर यदि आवश्यक हुआ तो विभाग को सॉफ्टवेयर में सुधार करने हेतु भेजा जाएगा तत्पश्चात् **यदि किसी मार्ग की दूरी में विभाग द्वारा सुधार किया जाता है, तो यह दूरी विभाग द्वारा सॉफ्टवेयर में सुधार के बाद की तिथि से प्राप्त आवेदन के लिए मान्य होगी।**

(xiii) **<u>High Security Registration Plate</u>** :– केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 50 एवं 51 में निहित प्रावधानों के तहत सभी वाहनों में H.S.R.P. लगाना अनिवार्य किया गया है। बैठक में

प्राप्त कतिपय आवेदित वाहनों/आपत्तिकर्त्ता के वाहनों में H.S.R.P. लगे नहीं होने के कारण जुर्माना के शर्त पर परमिट स्वीकृत किया गया है। अतः सभी संबंधित वाहन स्वामियों से अनुरोध किया गया कि अपने वाहन में H.S.R.P. लगवा लें एवं ऑनलाईन भी अपडेट करा लें।

कतिपय वाहनों में स्थानीय दुकानों/फुटपाथों पर स्थापित दुकानों द्वारा मूल निबंधन संख्या की जगह दूसरे निबंधन संख्या का फर्जी नम्बर प्लेट लगा दिया जाता है, जिसके कारण E-Challan निर्गत होने पर पता चलता है कि जिस वाहन का चालान निर्गत किया गया है, वह किसी अन्य स्थान पर है। फर्जी निबंधन प्लेटों/नंबर प्लेटों पर अंकुश लगाना अनिवार्य है।

अतएव सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण प्रमंडलान्तर्गत को निदेश दिया गया कि अपने क्षेत्राधिकार में बिना H.S.R.P. (अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट) के परिचालित होने वाले सभी बसों की जाँच कर नियमानुसार जुर्माना/कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(xiv) **मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना** :– परिवहन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या–8866, दिनांक–09.07.2024 द्वारा मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के अन्तर्गत कुल–2005 नये अन्तर्क्षेत्रीय मार्गो को अधिसूचित किया गया है। MMPPY योजना के तहत् प्राप्त बसों के मालिको से अनुरोध है कि वे **योजना अन्तर्गत अधिसूचित मार्ग पर हीं परिचालन** हेतु आवेदन समर्पित करेंगे, अन्यथा उनका आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

10. अन्यान्य :–

(i) **परमिट की प्रति वाहन पर चस्पा करने के संबंध में** :– *प्राधिकार की बैठकों में प्रायः यह देखा गया है कि वाहन स्वामी एक–दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि अमूक व्यक्ति द्वारा अपने वाहन का परिचालन मेरे समय–सारणी के पहले/आगे–आगे कराते हैं एवं मना करने पर कहते हैं कि इस टाईम का परमिट मुझे प्राप्त है तथा परमिट की प्रति दिखाने को कहने पर परमिट की प्रति नहीं दिखाते हैं, जिससे वाहन स्वामियों के बीच अक्सर विवाद उत्पन्न होते रहते हैं।*

उपरोक्त के मद्देनजर सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वे अपने वाहन के परमिट की छायाप्रति वाहन के अंदर से उचित स्थान पर यथा–window glass आदि पर पठनीय भाग बाहर की ओर करके चस्पा करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि अन्य वाहन स्वामी के साथ–साथ यात्रीगण भी उस बस के समय–सारणी को देख सकें। इससे वाहन स्वामियों के बीच इस बिंदु पर आपसी विवाद उत्पन्न नहीं होगा तथा यात्रिगणों को भी समय की दृष्टिकोण से यात्रा करने में सुविधा होगी।

यदि चस्पा किये गये परमिट की प्रति किसी के द्वारा नुकसान कर दिये जाने या किसी तरह क्षतिग्रस्त होने या अपठनीय होने की स्थिति में समय–सारणी को लेकर विवाद उत्पन्न होता है तो इस विवाद से प्रभावित होने वाले परमिटधारी को दूसरे वाहन के परमिट को देखने का अधिकार होगा।

(ii) **नये मार्ग अधिसूचित करने के संबंध में** :– क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा द्वारा निर्णय लिया गया है कि यदि नया मार्ग अधिसूचित कराने हेतु कोई आवेदन प्राप्त होता है, तो उसकी आवश्यकता की जाँच संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी से करायी जायेगी। जिला परिवहन पदाधिकारी से अनुशंसा प्राप्त होने पर उक्त मार्ग को अधिसूचित करने हेतु विभाग से अनुरोध किया जायेगा।

(iii) **विहित प्रपत्र में मोटरयान निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन** :– सभी मोटरयान निरीक्षक, सारण प्रमण्डलान्तर्गत को निदेश है कि यदि संबंधित वाहन स्वामी द्वारा अपने वाहन का भौतिक जॉच/सत्यापन हेतु आवेदन समर्पित किया जाता है तो नियमानुसार आवेदित वाहन का निरीक्षण/भौतिक जॉच कर वस्तु स्थिति की सूचना विहित प्रपत्र में अंकित करते हुए सत्यापित करना सुनिश्चित करेंगे।

ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि मोटरयान निरीक्षक द्वारा वाहनों का भौतिक जाँच/सत्यापन कार्यालय में बैठे–बैठे हीं कर दिया जा रहा है। वाहन को भौतिक रूप से उपस्थित होकर जाँच नहीं किया जाता है सिर्फ विहित प्रपत्र को भरकर खानापूर्ति कर दी जा रही है। अतः निदेश है कि वाहनों का भौतिक जॉच/सत्यापन करते समय GPS युक्त कैमरा से अनिवार्य रूप से साक्ष्य के तौर पर फोटो खींच

लिया जाय एवं संबंधित वाहन स्वामी को उपलब्ध करा दिया जाय, जिसकी प्रति वाहन स्वामी सत्यापन प्रतिवेदन के साथ संलग्न कर परमिट हेतु आवेदन करने पर आवेदन के साथ संलग्न कर कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

(iv) <u>दूसरे राज्य में बकाये जुर्माना के संबंध में विकल्प/प्रावधान</u> :– प्राधिकार की विभिन्न बैठकों में बकाये जुर्माने के संबंध में प्रायः यह वाहन स्वामियों द्वारा कहा जाता है कि उनके वाहन पर बकाया जुर्माना अन्य राज्य यथा–उत्तर प्रदेश, आदि राज्य से संबंधित है, जहाँ उनके जुर्माना से संबंधित मामला न्यायालय में चला गया है, जिस कारण उनका जुर्माना शीघ्र/ऑनलाईन माध्यम से जमा नहीं हो पा रहा है। इस क्रम में प्राधिकार की बैठक दिनांक–27.02.2025 में उपस्थित वाहन स्वामी श्री अवधेश प्रसाद, पिता–स्व0 वशिष्ठ प्रसाद, ग्राम–विशुनपुर, थाना–महाराजगंज, जिला–सिवान द्वारा बताया गया कि उनके वाहन सं0–BR29M-7375 पर मात्र 500/–रूपये का जुर्माना बकाया है, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के न्यायालय में विचाराधीन है, जिसे जमा करने हेतु वे कई बार न्यायालय जा चुके हैं एवं इस क्रम में जुर्माने की राशि से कई गुना अधिक राशि खर्च कर चुके हैं। फिर भी उक्त जुर्माना अबतक जमा नहीं हो पाया है। इस बकाये जुर्माने के कारण उनके वाहन का फिटनेश भी अद्यतन नहीं हो पा रहा है, जिस कारण उक्त वाहन का परमिट भी रद्द हो गया। बैठक में दानी मौर्यध्वज बैनर के तरफ से उपस्थित श्री बिरेन्द्र राय द्वारा भी बताया गया कि उनके बैनर के अंतर्गत संचालित वाहन पर बकाया राशि उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है, जहाँ इनका मामला भी न्यायालय में चला गया है, जिस कारण ऑनलाईन माध्यम से अथवा शीघ्र जमा नहीं हो पायेगा।

चूँकि प्राधिकार द्वारा वैसे वाहन स्वामियों, जो सरकार का राजस्व/जुर्माना बकाया रखकर अपने वाहन का परिचालन करते हैं, को प्रोत्साहित नहीं करने एवं बकाया जुर्माना ससमय जमा करने हेतु प्रेरित करने के दृष्टिकोण एवं उद्येश्य से परमिट की स्वीकृति नहीं दी जाती है अथवा पूर्व से बकाये टैक्स/जुर्माना जमा करने के साथ अतिरिक्त जुर्माना के शर्त पर परमिट की स्वीकृति दी जाती है। उपरोक्त स्थिति/प्रावधान के कारण कई बार कतिपय वाहन स्वामी परमिट से वंचित रह जाते हैं।

प्राधिकार की बैठक दिनांक–27.02.2025 में उपस्थित कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा कहा गया कि *"हमलोग उतनी राशि, जितनी अन्य राज्य में या न्यायालय में लंबित है, को यहाँ की शीर्ष में जमा करने के लिए तैयार हैं। कृपया बकाये जुर्माना की राशि यहाँ की शीर्ष में जमा कराकर परमिट की स्वीकृति दिया जाय।"*

अतः उपरोक्त के मद्देनजर एवं वाहन स्वामियों के अनुरोध के आलोक में प्राधिकार द्वारा सर्वसम्मति से निम्नवत् निर्णय लिया गयाः–

(क) वाहन स्वामी यदि चाहें तो उतनी राशि, जितनी अन्य राज्य के न्यायालय में लंबित है, जो शीघ्र जमा नहीं हो पा रहा है, को Tax Receipt शीर्ष **R0041001020014-00-03** में अपने स्वेच्छा से एक शपथ–पत्र के साथ जमा करते हैं, तो परमिट की स्वीकृति एवं निर्गमन की जा सकेगी, परन्तु शपथ–पत्र इस आशय का संलग्न होना अनिवार्य होगा कि ***अमूक राशि अमूक राज्य के न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण जमा नहीं हो पा रहा है, जिस कारण अपने स्वेच्छा से परमिट प्राप्त करने हेतु उक्त राशि जमा कर रहा हूँ/कर रही हूँ एवं जमा की गई उक्त राशि वापस लेने हेतु भविष्य में कभी दावा नहीं करूँगा/करूँगी तथा अमूक राज्य के न्यायालय में विचाराधीन जुर्माना भी जब जमा होगा, तब जमा कर दूँगा/कर दूँगी।***

(ख) जमा की गई राशि वापस नहीं की जायेगी एवं अमूक राज्य में/अमूक राज्य के न्यायालय में लंबित जुर्माने की राशि से मुक्ति नहीं होगी। यानि बकाया राशि भविष्य में उस राज्य/ न्यायालय में भी जमा करना होगा।

(ग) उपरोक्त प्रावधान सिर्फ वैकल्पिक होगा। आवेदक यदि चाहें तो उक्त विकल्प को नहीं मानकर बकाया जुर्माना जमा करने के पश्चात् पुनः परमिट हेतु आवेदन कर सकते हैं।

(v) <u>नियमों का उल्लंघन कर वाहनों का अवैध परिचालन करने संबंधी प्राप्त शिकायतों के संबंध में</u> :– विभिन्न स्रोतों से एवं प्राधिकार की बैठक में भी कतिपय आवेदकों से ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई है कि झारखंड एवं बिहार निबंधन संख्या वाले कुछ वाहनों को सारण प्रमंडल अंतर्गत मार्गों यथा–सारण, सिवान, गोपालगंज से राँची, टाटा, बोकारो (झारखंड), दिल्ली के मार्गों पर अवैध ढंग से

परिचालन किया जा रहा है। इन बसों के पास न तो परमिट होते हैं और न हीं इनके कागजात यथा–टैक्स, बीमा, आदि अद्यतन होते हैं।

बस का निबंधन चाहे किसी भी राज्य में हुआ हो, सभी को सामान रूप से नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य है। सभी वाहनों को वैद्य परमिट एवं वांछित टैक्स व अद्यतन कागजातों के साथ हीं परिचालन करना है। बिना परमिट एवं अद्यतन कागजातों के किसी भी वाहन का परिचालन करना नियमाकूल नहीं है। यदि ऐसे वाहनों का परिचालन सारण RTA के क्षेत्र में किया जा रहा है तो उसकी जॉच कर नियमानुसार जुर्माना/कार्रवाई करते हुए उसके परिचालन पर रोक लगाने की आवश्यकता है।

अतः जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण, सिवान, गोपालगंज एवं RTA, सचिव को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त में वर्णित शिकायतों के आलोक में अपने टीम के साथ उपरोक्त तथ्यों की जॉच करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्राधिकार अंतर्गत किसी भी ऐसे वाहन का परिचालन नही किया जा रहा है, जिसके पास वैद्य परमिट न हो एवं जिसका कागजात अद्यतन न हो।

अन्त में सधन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गयी।

01/07/25

अपर समाहर्त्ता, सारण (राजस्व)
–सह–
सदस्य, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण छपरा।

01/07/2025

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण, छपरा।

1/7/25

आयुक्त–सह–अध्यक्ष,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 248 / सारण, दिनांक 01 / 07 / 2025

प्रतिलिपि :– सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक,सारण प्रमण्डलांतर्गत को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यार्थ/अनुपालनार्थ प्रेशित।

प्रतिलिपि :–सचिव, क्षेत्रीय परि0 प्राधिकार, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेशित।

प्रतिलिपि :–जिला पदाधिकारी, सारण/सीवन/गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :– सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

01/07/25 01/07/25

1/7/25

आयुक्त–सह–अध्यक्ष
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण, छपरा।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा की बैठक

दिनांक—30.06.2025 की कार्यवाही।
समयः—12:00 बजे मध्यान् से
स्थानः— आयुक्त कार्यालय (हाईब्रिड मोड से)

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा की बैठक दिनांक–26.06.2025 की कार्यवाही:–				पृष्ठ सं0
कार्यावाली सं0–01	1	गत बैठक दिनांक–29.05.2025 की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन।	परिशिष्ट–I	
कार्यावली सं0–02		प्राधिकार की बैठक के प्रत्याशा में संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण द्वारा प्रत्योजित शक्ति के तहत किये गये कार्यों की सूची।		
	(i)	बस का अस्थायी (विशेष) परमिट (1–28 दिन तक)		
	(ii)	नेशनल परमिट का ऑथोराइजेशन (एक वर्ष)		
	(iii)	प्राप्त आवेदन के आलोक में स्थायी सवाड़ी गाड़ी के परमिट प्रत्यर्पण की संख्या।		
	(iv)	स्थायी सवाड़ी गाड़ी के नवीकरण किये गए परमिटों की सूची।		
	(v)	सम्पुष्टि की प्रत्याशा में नामांतरित किये गये परमिटों की सूची।	परिशिष्ट–II	
	(vi)	सम्पुष्टि की प्रत्याशा में प्रतिस्थापित किये गये वाहनों की की सूची।		
कार्यावली सं0–03	(i)	बसों के स्थायी परमिट (स्टेज कैरेज परमिट) निर्गत करने हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचारण।	परिशिष्ट–III	
	(ii)	अन्य प्राधिकार से निर्गत स्थायी सवाड़ी गाड़ी परमिट के प्रतिहस्ताक्षर के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों एवं पूर्व से लंबित आवेदनों पर विचारण।	परिशिष्ट–IV	
	(iii)	एजेन्ट लाईसेंस।	परिशिष्ट–V	

<u>परिशिष्ट–I</u>

कार्यावली सं0–01

गत बैठक दिनांक–29.05.2025 की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन।	अनुपालन किया जा रहा है।

<u>कार्यावली सं0–02(i-iv)</u>

प्राधिकार की बैठक के प्रत्याशा में संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत किये गये कार्यों की सूची, दिनांक–30.04.2025 से 25.05.2025 तक।

(i)	बस का अस्थायी (विशेष) परमिट (1–28 दिन तक) –00
(ii)	नेशनल परमिट का ऑथोराइजेशन (एक वर्ष)– शून्य
(iii)	प्राप्त आवेदन के आलोक में स्थायी सवाड़ी गाड़ी के परमिट प्रत्यर्पण की संख्या–01
(iv)	स्थायी सवाड़ी गाड़ी के नवीकरण किये गए परमिटों की सूची।

कार्यावाली संख्या– 2 (v)						
प्रत्यायोजित शक्ति के अधीन सम्पुष्टि की प्रत्याशा में नामांतरित किये गये परमिटों की सूचीः–						
क्र0सं0	पूर्व परमिटधारी का नाम व पता	वर्तमान परमिटधारी का नाम व पता	वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	अभियुक्ति
1.	श्री अनिल कुमार शर्मा, पिता–स्व0 संत बिहारी शर्मा, पता–सुपौली, पो0–ईटावा, थाना–पचरूखी, याकूब, सिवान।	श्री अमित कुमार शर्मा, पिता– स्व0 अनिल कुमार शर्मा, पता–सुपौली, पो0–ईटावा, थाना–पचरूखी, याकूब, सिवान।	BR29PA-0421	BR/109/SC/85/2013	31.07.2028	सम्पुष्ट।

कार्यावाली संख्या– 2 (vi)					
प्रत्यायोजित शक्ति के अधीन सम्पुष्टि की प्रत्याशा में प्रतिस्थापित किये गये वाहनों की सूचीः–					
क्र0सं0	वाहन स्वामी का नाम/पता	परमिट संख्या	परमिट पर आवृत वाहन संख्या	प्रतिस्थापित वाहन संख्या	अभियुक्ति
1.	श्री विनय कुमार चौबे, पिता– श्री विष्णु चौबे, पता–अरेराज गोविन्दगंज, पूर्वी चम्पारण।	BR2022-SC-0937A	BR05P-1458	BR05PB-8442	सम्पुष्ट।
2.	श्री सुनील कुमार चौबे, पिता– श्री विष्णु चौबे, पता–वार्ड नं0–03, पोखरा के नजदीक गोविन्दगंज, पूर्वी चम्पारण।	BR/109/SC/17/2018	BR05AP-1002	BR05PB-5771	सम्पुष्ट।
3.	श्री विनय कुमार चौबे, पिता– श्री विष्णु चौबे, पता–अरेराज गोविन्दगंज, पूर्वी चम्पारण।	BR/109/SC/55/2012	BR05P-1457	BR05PB-8443	सम्पुष्ट।

कार्यावली संख्या–3(i) बसों के स्थायी परमिट निर्गत करने हेतु प्राप्त आवेदनों एवं आपतियों पर विचारणः– परिशिष्ट–III

प्राप्त आवेदनों की विवरणी				प्राप्त आपत्ति से संबंधित विवरणी		कार्यालय समीक्षा		
क्र0 सं0	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या, निबंधन की तिथि एवं कागजातों की वैधता	मार्ग, मार्ग संख्या, प्रस्थान का समय	आपत्ति	आपत्तिकर्त्ता के वाहन की विवरणी	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन की विवरणी	निर्णय
1.	श्रीमती अनामिका सिंह, पति–श्री प्रभात कुमार सिंह, गाँधी चौक, छपरा। बैनर का नाम– **हिमगिरी ट्रेवल्स**	BR04PA-8267 नि0तिथि–22.03.25 टैक्स–18.09.25 फिटनेश–21.03.27 बीमा–18.03.26 प्रदूषण–21.03.26 VLTD–18.05.27 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हाँ	बैरिया बसस्टैण्ड, मुजफ्फरपुर–मांझी **मार्ग सं0–3957 डा0** बैरिया बस स्टैण्ड, मुज0 प्र0 –05:40 मांझी प्र0 –10:40	आपत्ति प्राप्त नहीं।		*आवेदित वाहन परमिट से आवृत नही है।*		**स्वीकृत।**
2	अरसे आलम पिता–मजिबुल हसन, ग्राम–खाजेपुर खुर्द, पो0–रामपुर के टोला, थाना–हसनपुरा, जिला–सिवान बैनर का नाम– **ईद का चाँद**	BR29PA-5286 नि0ति0–06.09.18 टैक्स–04.09.25 फिट0–13.09.26 बीमा–17.10.25 प्रदूषण–10.11.25 VLTD–03.09.26 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हाँ	ग्यासपुर–सिवान **मार्ग सं0–4041** ग्यासपुर प्र0–05:30 सिवान प्र0–08:10 ग्यासपुर प्र0–11:40 सिवान प्र0–17:40	आपत्ति प्राप्त नहीं।		*आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार से दिनांक–04.09.2019 को निर्गत है।*		चूँकि आवेदित वाहन का पूर्व परमिट की वैधता दिनांक– 03.09.2024 को समाप्त हो चुकी है, जो आज भी उक्त वाहन पर प्रदर्शित है। ऐसे में यह माना जायेगा कि परमिट की वैधता समाप्त होने के पश्चात् आवेदक द्वारा बिना परमिट के हीं कई माहो से वाहन का परिचालन किया जा रहा है। अतः उक्त के कारण **मो0 10000 /–** जुर्माना के शर्त्त पर **परमिट स्वीकृत।**
3.	सुदामा सिंह पिता–भोला सिंह, ग्राम–कौरिया, जिला–सिवान बैनर का नाम– **मुन्ना डिलक्स।**	BR04F-3176 नि0ति0–**09.02.09** टैक्स–30.06.25 फिट0–29.10.25 बीमा–23.04.26 प्रदूषण–30.11.25 VLTD–16.11.25 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हाँ	बसन्तपुर–छपरा **मार्ग सं0–4093** बसन्तपुर प्र0–06:40 छपरा प्र0–14:03	आपत्ति प्राप्त नहीं।		*आवेदित वाहन परमिट से आवृत नही है।* आवेदित वाहन के बैनर **मुन्ना डिलक्स** के अंतर्गत संचालित वाहन सं0– BR29PA-9022, BR29PA-8057& BR29PB-0176 पर बकाया जमा कर दिया गया है एवं **वाहन सं0**– BR29PA - 4721 का VLTD सक्रिय करा लिया गया है।		आवेदित बैनर के अंतर्गत संचालित वाहनों पर बकाया जुर्माना आवेदन की तिथि से पूर्व जमा न कर बैठक की तिथि से पूर्व जमा करने की स्थिति में मो0 5000/–रूपये एवं VLTD भी बैठक की तिथि से पूर्व अद्यतन कराने की स्थिति में मो0 5000/– यानि ***कुल–10000/– रूपये जुर्माना के शर्त पर परमिट स्वीकृत।***

4.	श्री प्रमोद कुमार सिंह पिता–सुदामा सिंह, पता–कौरिया, सरनीहा टौला, जिला–सिवान बैनर का नाम– **मुन्ना डिलक्स।**	BR29PB-0177 नि0तिथि–25.07.23 टैक्स–24.07.2025 फिटनेश–23.07.25 बीमा–11.05.2026 प्रदूषण–05.07.25 VLTD–21.07.25 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हाँ	छपरा–महम्मदपुर **मार्ग सं0–3764** **छपरा प्र0–03:15** महम्मदपुर प्र0 –09:35 छपरा प्र0–13:23 महम्मदपुर प्र0 –17:30	आपत्ति प्राप्त नहीं।		*आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार से दिनांक–19.10.2023 को निर्गत है।* **कार्यालय अभिलेख** से मिलान करने पर वाहन सं0–BR05PB-8442, परमिट सं0–BR2022-SC-0937A वैधता–26.04.27 का **छपरा में प्र0 समय 03:15 तथा आवेदक का छपरा में प्र0 समय 03:15** है। अंतराल 00 मिनट	BR05PB-8442 नि0 तिथि–05.05.25 टैक्स–29.07.25 फिट0–04.05.27 बीमा–04.05.26 प्रदू0–04.05.26 VLTD–29.05.27	कार्यालय अभियुक्ति में वर्णित वाहन से समय का टकराव होने के कारण **प्रथम ट्रिप कटाव** के साथ एवं इस बैनर के अंतर्गत क्रमांक–3 में लगाये गये जुर्माना की अनुपालन के स्थिति में **परमिट स्वीकृत।**
5.	श्री भूपेन्द्र सिंह पिता–श्री रामाश्रेय सिंह, ग्राम–बतरौलिया, थाना–सरैया, जिला–मुजफ्फरपुर। **बैनर का नाम–** **जय बाबा गुरूदेव।**	BR06PG-6555 नि0तिथि–01.04.25 टैक्स–29.06.25 फिटनेश–31.03.27 बीमा–30.03.26 प्रदूषण–31.03.26 VLTD–29.04.27 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हाँ	बैरिया–मॉझी **मार्ग सं0–3957** बैरिया प्र0–07:00 मॉझी प्र0–12:35	आपत्ति प्राप्त नहीं।		*आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नही है।* *समय–सारणी में दो बिंदूओं पर समय अंतराल त्रुटिपूर्ण अंकित किया गया है।*		आवेदित समय–सारणी में दो बिंदूओं पर समय अंतराल त्रुटिपूर्ण अंकित किये जाने के कारण **मो0 5000/–रूपये** जुर्माना के शर्त पर **परमिट स्वीकृत।**
6.	तबीस परवेज पिता–परवेज आलम ग्राम–तकिया याकुब, पो0+थाना+जिला–गोपालगंज। **बैनर का नाम–** **रोजी ट्रेवल्स।**	BR28P-2828 नि0तिथि–08.01.13 टैक्स–08.07.25 फिटनेश–02.10.25 बीमा–12.09.25 प्रदूषण–06.08.25 VLTD–01.02.26 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–नहीं	बेतिया–छपरा **मार्ग सं0–4019** बेतिया प्र0–05:50 छपरा प्र0–14:10	आपत्ति प्राप्त नहीं।		*आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नही है।* आवेदित वाहन के बैनर **रोजी ट्रेवल्स** के अंतर्गत संचालित वाहन सं0–BR28L-4786, BR28G-0872, BR28B-9635 & BR28E-6687 पर कुल 16000/– रूपये का जुर्माना बकाया था, जिसे बैठक से पूर्व जमा कर दिया गया है। साथ हीं आवेदित वाहन में HSRP अधिष्ठापित नहीं है। साथ हीं समय–सारणी में कई बिंदूओं पर समय अंतराल त्रुटिपूर्ण अंकित किया गया है।		आवेदित बैनर के अंतर्गत संचालित वाहनों पर बकाया जुर्माना आवेदन की तिथि से पूर्व जमा न कर बैठक की तिथि से पूर्व जमा करने की स्थिति में **मो0 5000/–रूपये**, कई बिंदूओं पर समय अंतराल त्रुटिपूर्ण अंकित किये जाने के कारण **मो0 5000 /–रू0** एवं HSRP अधिष्ठापित नहीं होने के कारण **मो0 5000/–रूपये** यानि **कुल–15000 /– रू0** जुर्माना एवं HSRP अधिष्ठापित कराकर साक्ष्य उपलब्ध कराने के शर्त्त पर **परमिट स्वीकृत।**

7.	श्रीमती गायत्री देवी, पति–पुशपेन्द्र राय, ग्राम–डुमरहर बुर्जग, पो0–डुमरहर खुर्द, थाना–दरौली, जिला–सारण। **बैनर का नाम– जय सिया राम।**	BR29P-3701 नि0तिथि–06.01.14 टैक्स–25.06.25 फिटनेश–07.10.25 बीमा–29.05.26 प्रदूषण–15.04.26 VLTD–13.10.25 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हाँ	मेहरौना–सिवान **मार्ग सं0–3696** मेहरौना **प्र0–07:20** सिवान प्र0–08:35 मेहरौना प्र0–09:35 सिवान प्र0–12:17 मेहरौना प्र0–13:50 सिवान प्र0–15:28 मेहरौना प्र0–16:25 सिवान प्र0–17:35	आपतिकर्ता–श्री बब्लू राय, पिता– श्री दीनानाथ राय, परमिट सं0–BR/109/SC /2016 /155 आवृत वाहन सं0– BR29PA-0160 मार्ग मेहरौना पुल–सिवान मार्ग सं0– आपतिकर्ता का आपति निम्नवत है:– आवेदक मेहरौना प्र0–07:20 आपतिकर्ता मेहरौना प्र0– 07:20 अंतराल–00 मिनट	BR29PA-0160 नि0ति0–20.06.15 टैक्स–15.09.2025 फिटनेश–22.08.25 बीमा–14.05.2026 प्रदूषण–14.07.25 VLTD–21.07.25 जुर्माना–नहीं	*आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नही है।* आवेदित वाहन के बैनर **जय सिया राम** के अंतर्गत संचालित वाहन सं0– BR29P-5737 का फिटनेश, बीमा एवं VLTD फेल था एवं उक्त वाहन पर कुल 3000/– रूपये बकाया था, जिसे बैठक से पूर्व जमा कर दिया गया है एवं सभी कागजात अद्यतन करा लिया गया है। आवेदक द्वारा अपने बैनर के अंतर्गत संचालित कई वाहनों का उल्लेख शपथ–पत्र में नहीं किया गया है। *आवेदक एवं आपत्तिकर्त्ता का कॉमन रूट 40 प्रतिशत से अधिक है।*		आवेदित बैनर के अंतर्गत संचालित वाहन पर बकाया जुर्माना आवेदन की तिथि से पूर्व जमा न कर बैठक की तिथि से पूर्व जमा करने की स्थिति में **मो0 5000/**–रूपये, एवं उक्त वाहन का मान्य कागजात भी आवेदन की तिथि से पूर्व अद्यतन न कराकर बैठक के तिथि से पूर्व कराये जाने की स्थिति में **मो0 5000 /– रू0** तथा अपने शपथ–पत्र में कई वाहनों का उल्लेख नहीं करने के कारण **मो0 5000/ – रू0** यानि कुल– **15000 /– रू0** जुर्माना के साथ एवं अपने बैनर के अंतर्गत संचालित वाहनों की सूची उपलब्ध कराने के शर्त्त पर तथा आपत्ति के आलोक में **प्रथम ट्रिप कटाव** के साथ **परमिट स्वीकृत।**
8.	श्री अवधेश प्रसाद, पिता–स्व0 वशिष्ठ प्र0 ग्राम–विशुनपुर महुआरी,पो0–देवरिया, थाना–महाराजगंज, जिला–सिवान **बैनर का नाम– अमन बिहार**	BR29M-7375 नि0तिथि–04.06.13 टैक्स–03.09.25 फिटनेश–16.04.26 बीमा–29.05.26 प्रदूषण–14.11.25 VLTD–18.12.25 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हॉ	गौशाला रोड सिवान–बढ़ेया। **मार्ग सं0–3784** गौशाला रोड सिवान प्र0–06:03 बढ़ैया प्र0–08:03 गौशाला रोड सिवान प्र0–09:38 बढ़ैया प्र0–11:50 गौशाला रोड सिवान प्र0–14:50 बढ़ैया प्र0–16:56	आपत्ति प्राप्त नहीं।		*आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नही है।*		**आवेदन वापस।**

9.	श्री आशु कुमार राय, पिता–श्री धर्मेश्वर राय ग्राम–डुमरहर बुर्जग, पो0–डुमरहर खुर्द, थाना–दरौली, जिला–सारण। **बैनर का नाम– जय सिया राम।**	BR29PB-1217 नि0तिथि–20.05.25 टैक्स–14.08.25 फिटनेश–19.05.27 बीमा–22.04.26 प्रदूषण–19.05.26 VLTD–23.05.27 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हॉ	मेहरौना–सिवान **मार्ग सं0–3696** मेहरौना प्र0–07:04 सिवान प्र0–08:07 मेहरौना प्र0–09:03 सिवान प्र0–10:10 मेहरौना प्र0–11:01 सिवान प्र0–11:58 मेहरौना प्र0–13:05 सिवान प्र0–15:45	आपतिकर्ता–बब्लू राय, पिता– श्री दीनानाथ राय, परमिट से आवृत नहीं, वाहन सं0–BR29M-7091 आपतिकर्ता का आपति निम्नवत है कि पिछले बैठक में दूसरा खेप में सिवान से परिचालन का समय 12:00 बजे था एवं तिसरे में मुख्य बिंदू सिवान में 15:45 डाला था, जिसमें मेरा परमिट निर्गत नहीं हुआ था और मेरे ही समय–सारणी को देखते हुए आवेदक ने समय–सारणी जिसमें मुख्य बिंदू सिवान 11:58 तिसरे खेप है एवं चौथा खेप में 15:45 प्रकाशित कराये हैं एवं गुठनी से मैरवा 15 कि0मी0 है, जो 17 मिनट में तय कर रहे हैं, जो लिमिट से अधिक है।	BR29M-7091 नि0तिथि–31.05.13 टैक्स–27.08.2025 फिटनेश–26.12.25 बीमा–15.07.2025 प्रदूषण–18.07.25 VLTD–20.01.26 जुर्माना–नहीं	*आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नही है।* आवेदित वाहन के बैनर **जय सिया राम** के अंतर्गत सचालित वाहन सं0– BR29P-5737 का फिटनेश, बीमा एव VLTD फेल था एव उक्त वाहन पर कुल 3000/– रूपये बकाया था, जिसे बैठक से पूर्व जमा कर दिया गया है एवं सभी कागजात अद्यतन करा लिया गया है। आपत्तिकर्त्ता द्वारा अपने पूर्व आवेदन को आधार मानकर आपत्ति दिया गया है, जो समय –सारण के दृष्टिकोण से मान्य नहीं है।		आवेदित बैनर जय सिया राम के अंतर्गत **क्रमांक–7 के** निर्णय में लगाये गये जुर्माना एव शर्त्त का अनुपालन होने की स्थिति में **परमिट स्वीकृत।**
10.	श्री दिनेश कुमार सिंह पिता–स्व0 शिवदयाल सिंह, ग्राम–नेवाजी टोला, पो0–गुरूकुल मेहिया, थाना–छपरा मुफ0, जिला–सारण। **बैनर का नाम– आनन्द रथ**	BR04F-8051 नि0तिथि–**18.07.09** टैक्स–30.06.25 फिटनेश–30.07.25 बीमा–08.07.25 प्रदूषण–02.09.25 VLTD–21.07.25 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हॉ	छपरा–मकेर **मार्ग सं0–3881** छपरा प्र0–12:43 मकेर प्र0–03:50	आपत्ति प्राप्त नहीं।		*आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार से दिनांक– 06.05.2020 को निर्गत है।* समय–सारणी में कई बिंदूओं के मध्य समय अंतराल त्रुटिपूर्ण अंकित किया गया है तथा समय–सारणी में प्रस्थान एवं आगमन के आधार पर सुधार करने के पश्चात् परिलक्षित होता है कि एक बिंदू यथा–**गढ़खा से छपरा** की दूरी 12 कि0मी0 अंकित करते हुए उसे 10 मिनट में तय करने का प्रस्ताव है, जिसके अनुसार गति सीमा 72 **km/h** हो रहा है, जो अधिकतम गति सीमा का उल्लंघन है।		चूंकि आवेदित समय–सारणी में **गढ़खा से छपरा** के मध्य अधिकतम गति सीमा का उल्लंघन हो रहा है। अतः उक्त के आलोक में **आवेदन अस्वीकृत।**

11.	श्री राजू कुमार सिंह पिता–श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंह, पता–निमोही नेवाजी टोला, राठौर टोला,रामनगर, पो0–गुरूकुल, मेहिया थाना–छपरा मुफ0, सारण। **बैनर का नाम–वायुदूत।**	BR04J-1530 नि0तिथि–14.02.11 टैक्स–31.07.25 फिटनेश–01.08.25 बीमा–21.03.26 प्रदूषण–09.06.26 VLTD–02.06.26 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हॉ	मकेर–छपरा **मार्ग सं0–3881** मकेर प्र0–05:20 छपरा प्र0–07:05 मकेर प्र0–10:00 छपरा प्र0–12:31 मकेर प्र0–14:55 छपरा प्र0–17:10	आपत्ति प्राप्त नहीं।		आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार से दिनांक–11.03.2018 को निर्गत है। आवेदित वाहन का पूर्व परमिट की वैधता दिनांक–10.03.2023 को समाप्त हो चुकी है एवं लगभग दो वर्ष के पश्चात् परमिट हेतु आवेदन किया गया है, जो कि एक लंबी अवधि है। ऐसे में यह माना जायेगा कि परमिट की वैधता समाप्त होने के पश्चात् आवेदक द्वारा बिना परमिट के हीं लम्बे समय से वाहन का परिचालन किया जा रहा है।		चूँकि आवेदित वाहन का पूर्व परमिट की वैधता दिनांक–10.03.2023 को समाप्त हो चुकी है, जो आज भी उक्त वाहन पर प्रदर्शित है। ऐसे में यह माना जायेगा कि परमिट की वैधता समाप्त होने के पश्चात् आवेदक द्वारा बिना परमिट के हीं लम्बे समय से वाहन का परिचालन किया जा रहा है। अतः उक्त के कारण **मो0 10000 /–** जुर्माना के शर्त्त पर **परमिट स्वीकृत।**
12.	श्री अतुल कुमार यादव, पिता–चंद्रमा यादव, ग्राम–हरखौली, पो0+थाना–मीरगंज, जिला–गोपालगंज **बैनर का नाम–न्यू पहलवान कोच।**	BR01PJ-8252 नि0तिथि–25.01.19 टैक्स–22.07.25 फिटनेश–28.10.26 बीमा–29.09.25 प्रदूषण–22.12.25 VLTD–07.11.26 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हॉ	सिवान–गोपालगंज **मार्ग सं0–2191** सिवान प्र0–06:12 गोपा0 **प्र0–08:05** सिवान प्र0–09:32 गोपा0 **प्र0–12:04** सिवान प्र0–14:02 गोपा0 प्र0–16:12	आपत्ति प्राप्त नहीं।		*आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नहीं है।* **1) कार्यालय अभिलेख** से मिलान करने पर वाहन सं0–BR29J-9021, परमिट सं0– BR2023-SC-0012A वैधता–02.01.28 का **गोपालगंज में प्र0 समय 12:07 तथा आवेदक का गोपालगंज में प्र0 समय 12:04** है। अंतराल 03 मिनट **2) कार्यालय अभिलेख** से मिलान करने पर वाहन सं0–BR29PA-2188, परमिट सं0–BR2022-SC-1840A वैधता–23.08.27 का **गोपालगंज में प्र0 समय 08:09 तथा आवेदक का गोपालगंज में प्र0 समय 08:05** है। अंतराल 04 मिनट **2) कार्यालय अभिलेख** से मिलान करने पर वाहन सं0–BR28P-1280, परमिट सं0–BR2023-SC-3457A वैधता–13.12.28 का **गोपालगंज में प्र0 समय 12:08 तथा आवेदक का गोपालगंज में प्र0 समय 12:04** है।अंतराल 04 मिनट	1)BR29J-9021 नि0ति0–13.02.12 टैक्स–12.08..25 फिट0–19.02.26 बीमा–17.02.26 प्रदू0–26.08.25 VLTD–16.12.25 2)BR29PA-2188 नि0ति0–23.09.16 टैक्स–22.06.25 फिट0–06.03.26 बीमा–14.11.25 प्रदू0–21.10.25 VLTD–05.03.26 3)BR28P-1280 नि0ति0–16.02.19 टैक्स–16.08.25 फिट0–15.05.25 बीमा–28.03.26 प्रदू0–13.05.25 VLTD–23.03.25	कार्यालय अभियुक्ति में उल्लेखित वाहनों से समय–सारणी का टकराव होने के कारण **प्रथम एवं द्वितीय ट्रिप कटाव** के साथ **परमिट स्वीकृत।**

13.	श्री बब्लू राय, पिता–श्री दिनानाथ राय, ग्राम–पांडेयपुर, पो0–डूमरहर, थाना–गुठनी, जिला–सिवान बैनर का नाम – **आदित्य विनित**	BR29M-7091 नि0तिथि–31.05.13 टैक्स–27.08.2025 फिटनेश–26.12.25 बीमा–15.07.2025 प्रदूषण–18.07.25 VLTD–20.01.26 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हॉं	मेहरौना–सिवान **मार्ग सं0–3696** मेहरौना प्र0–06:05 सिवान प्र0–08:00 मेहरौना प्र0–09:50 सिवान प्र0–12:00 मेहरौना प्र0–13:25 सिवान प्र0–**15:44**	आपतिकर्ता–आशु कुमार राय, पिता– श्री धर्मेश्वर राय, परमिट से आवृत नहीं है।वाहन सं0–BR29PB-1217, मार्ग सं0–3696 आपतिकर्ता का आपति निम्नवत है:– आवेदक सिवान प्र0–03:44 आपतिकर्ता सिवान प्र0– 03:45 अंतराल–01 मिनट	BR29PB-1217 नि0ति0–20.05.25 टैक्स–14.08.25 फिट0–19.05.27 बीमा–22.04.26 प्रदू0–19.05.26 VLTD–23.05.27 जुर्माना–नहीं	*आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नही है।* आवेदक एवं आपत्ति कर्त्ता दोनों का नया आवेदित समय–सारणी है एवं आपत्तिकर्त्ता के परमिट की स्वीकृति क्रमांक–9 में दी गई है।		चूँकि आवेदक एवं आपत्तिकर्त्ता का नया आवेदित समय– सारणी है एवं आपत्तिकर्त्ता के परमिट की स्वीकृति क्रमांक–9 पर दी गई है। ऐसे में आपत्ति मान्य योग्य है। उपरोक्त स्थिति में तृतीय ट्रिप कटाव के साथ परमिट स्वीकृती दी जा रही थी, परन्तु आवेदक द्वारा ट्रिप कटाव के साथ परमिट लेने से ईनकार करते हुए आवेदन अस्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया गया। आवेदक के अनुरोध के आलोक में **आवेदन अस्वीकृत।**
14.	श्री प्रभु प्रसाद, पिता–स्व0 अयोध्या प्रसाद चौहान, ग्राम–मझौली रोड, पो0+थाना–मैरवा, जिला–सिवान बैनर का नाम – **आर्शीवाद ट्रेवल्स।**	BR29PB-1183 नि0तिथि–06.04.21 टैक्स–10.07.2025 फिटनेश–16.04.27 बीमा–23.03.26 प्रदूषण–08.05.26 VLTD–12.05.27 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हॉं	मेहरौना–सिवान **मार्ग सं0–3696** मेहरौना प्र0–09:40 सिवान प्र0–11:55 मेहरौना प्र0–15:54 सिवान प्र0–17:45	आपत्ति प्राप्त नहीं।		*आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नही है।*		**स्वीकृत।**
15.	श्री अंकुर कु0 राय, पिता–श्री उपेन्द्र कु0 राय, ग्राम–कुसौंधी, पो0–हथुआ, थाना–मीरगंज, जिला–गोपालगंज। बैनर का नाम – **राय बिहार।**	BR28P-4256 नि0तिथि–**01.09.09** टैक्स–02.07.2025 फिटनेश–19.11.25 बीमा–18.12.2025 प्रदूषण–03.06.26 VLTD–04.06.27 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हॉं	गोपालगंज–समउर **मार्ग सं0–4007** डा0 गोपा0 प्र0–04:00 समउर प्र0–14:30	आपत्ति प्राप्त नहीं।		*आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नही है।*		**स्वीकृत।**
16.	सुदामा सिंह पिता–भोला सिंह, ग्राम–कौरिया, जिला–सिवान बैनर का नाम– **मुन्ना डिलक्स।**	BR04G-1476 नि0ति0–**03.11.09** टैक्स–31.07.25 फिट0–05.06.26 बीमा–13.05.26 प्रदूषण–14.11.25 VLTD–03.06.26 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हॉं	बसन्तपुर–छपरा **मार्ग सं0–4093** बसन्तपुर प्र0–10:11 छपरा प्र0–05:10 अप0	आपतिकर्ता–रामनाथ सिंह, पिता–श्री जलेश्वर सिंह, परमिट सं0–BR2025-SC-1610A आवृत वाहन सं0– BR29PA-7592 मार्ग छपरा–महम्मदपुर मार्ग सं0–3764 आपतिकर्ता का आपति निम्नवत है:– आवेदक छपरा प्र0–05:10 आपतिकर्ता छपरा प्र0– 17:13 अंतराल–03 मिनट	BR29PA-7592 नि0तिथि–20.12.19 टैक्स–15.09.25 फिटनेश–19.12.25 बीमा–13.06.26 प्रदूषण–13.07.25 VLTD–18.12.25 जुर्माना–नहीं	*आवेदित वाहन परमिट से आवृत नही है।* *मुन्ना डिलक्स बैनर के अंतर्गत वाहनों पर बकाये जुर्माने आदि का उल्लेख उक्त क्रमांक–3 में किया गया है।* *आवेदक एवं आपत्तिकर्त्ता का कॉमन रूट 40 प्रतिशत से अधिक है।*		आपत्तिकर्त्ता के परमिट से समय का टकराव होने की स्थिति में ट्रिप कटाव के कारण **आवेदन अस्वीकृत।**

17.	श्री अंकुर कु0 राय, पिता–श्री उपेन्द्र कु0 राय, ग्राम–कुसौधी, पो0–हथुआ, थाना–मीरगंज, जिला–गोपालगंज। बैनर का नाम – **राय बिहार।**	BR28P-0169 नि0तिथि–10.03.17 टैक्स–09.09.2025 फिटनेश–13.07.25 बीमा–25.02.26 प्रदूषण–11.12.25 VLTD–04.06.27 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हॉ	वृतिटोला–गोपालगंज **मार्ग सं0–2216** वृति टोलाप्र0–07:10 गोपा0 प्र0–10:20 वृति टोलाप्र0–13:52 गोपा0 प्र0–15:30	आपत्ति प्राप्त नहीं।		*आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नहीं है।*		**स्वीकृत।**
18.	श्री ज्योतिन्द कुमार, पिता–स्व0 विक्रमा दित्य सिंह, ग्राम–डाकबंगला रोड सिवान, थाना– नगर सिवान, जिला–सिवान। बैनर का नाम – **अनमोल मोति।**	BR04Q-3251 नि0तिथि–30.04.15 टैक्स–22.07.2025 फिटनेश–21.07.25 बीमा–06.03.26 प्रदूषण–11.12.25 VLTD–10.09.25 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हॉ	सिवान–गोपालगंज **मार्ग सं0–2191** सिवान प्र0–08:50 गोपा0 प्र0–11:55 **सिवान प्र0–13:55** गोपा0 प्र0–15:25	आपतिकर्ता–शमी एजाज अहमद, पिता–इमामुद्दीन अहमद, परमिट सं0– BR2025-SC-1244A आवृत वाहन सं0– BR28G-3541 मार्ग सिवान–गोपालगंज मार्ग सं0–2191 आपतिकर्ता का आपति निम्नवत है:– आवेदक सिवान प्र0–13:55 आपतिकर्ता सिवान प्र0– 13:59 अंतराल–04 मिनट	BR28G-3541 नि0 तिथि–10.09.13 टैक्स–09.09.25 फिट0–02.03.26 बीमा–02.02.26 प्रदू0–03.02.26 VLTD–31.03.26 जुर्माना–नहीं	*आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार से दिनांक–28.08.2020 को निर्गत है।*		**आवेदन वापस।**
19	श्री सुनील कुमार दूबे, पति–स्व0 मनन दूबे, पता–डाक बंगला रोड, सिवान। बैनर का नाम– **सतीश ट्रेवल्स**	BR04D-1235 नि0तिथि**15.05.06** टैक्स–31.07.2025 फिटनेश–21.07.25 बीमा–23.11.2025 प्रदूषण–19.09.25 VLTD–12.07.25 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हॉ	ग्यासपुर–सिवान **मार्ग सं0–4041** ग्यासपुर प्र0–08:00 सिवान प्र0–10:30	आपत्ति प्राप्त नहीं।		*आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार से दिनांक–02.06.2022 को निर्गत है।* आवेदित समय–सारणी में सिवान से 10:30 में खुलकर गोपालपुर में 09:45 में पहुँचने का प्रस्ताव दिया गया है, जो कि संभव नहीं है।		चूँकि आवेदित समय–सारणी में सिवान से 10:30 में खुलकर गोपालपुर में 09:45 में पहुँचने का प्रस्ताव दिया गया है, जो कि संभव नहीं है। अतः उक्त के कारण **आवेदन अस्वीकृत।**
20.	श्री उमाकांत कुमार सिंह, पिता–किशोरी सिंह, पता–मठिया जिरात, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण। बैनर का नाम– **रमणा।**	BR05PB-2985 नि0तिथि–28.01.20 टैक्स–20.07.2025 फिटनेश–27.02.26 बीमा–05.01.2026 प्रदूषण–12.12.25 VLTD–11.02.26 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हॉ	रक्सौल–गुठनी **मार्ग सं0–3675ड्ड** रक्सौल प्र0–04:09 गुठनी प्र0–11:30	आपत्ति प्राप्त नहीं।		*आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो मुज0 प्राधिकार से दिनांक–17.03.2020 को निर्गत है।* आवेदित वाहन के बैनर **रमणा** के अंतर्गत संचालित वाहन सं0– **BR05P-9619** पर 8000/– रूपये जुर्माना बकाया था, जिसे बैठक से पूर्व जमा कर दिया गया है।		आवेदित बैनर रमणा के अंतर्गत संचालित वाहन पर बकाया जुर्माना आवेदन की तिथि से पूर्व जमा न कर बैठक से तिथि से पूर्व जमा किये जाने की स्थिति में **मो0 5000/–रू0** जुर्माना के शर्त्त पर **परमिट स्वीकृत।**

21.	श्री प्रमोद कुमार सिंह पिता–भारत भूषण सिंह, पता–झखड़ा, पिपरा कोठी, पू0 चम्पारण। बैनर का नाम–**रमणा**।	BR05P-9583 नि0तिथि 07.08.13 टैक्स–02.08.2025 फिटनेश–05.08.25 बीमा–04.10.25 प्रदूषण–03.09.25 VLTD–07.10.25 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हॉ	मोतिहारी–सिवान **मार्ग सं0–4077 डा0** मोति0 प्र0–05:16 सिवान प्र0–09:50 मोति0 प्र0–12:50 सिवान प्र0–16:19	आपतिकर्ता–अभिषेक कुमार, पिता–श्री रामतपस्या पुरी, परमिट सं0–BR2023-SC-2214A आवृत वाहन सं0– BR28P-1992 मार्ग सिवान–मोतिहारी मार्ग सं0–2199 आपतिकर्ता का आपति निम्नवत है कि आवेदक ने मार्ग सं0–4077 पर प्रकाशन किए है, जो पोर्टल पर 90 कि0मी0 की दूरी दर्शाया गया है, परन्तु मोतिहारी से सिवान की कुल दूरी 121 कि0मी0 है तथा आवेदक ने अपने आवेदन में 121 कि0मी0 अंकित किए है, जिससे चार खेप में 484 कि0मी0 की दूरी तय कर रही है तथा आवेदक का वाहन 11 वर्ष 10 माह का हो गई है। 10 वर्ष से 15 वर्ष तक के आयु वाले वाहन को प्रतिदिन 400 कि0मी0 के अंदर ही परिचालन करना है।	BR28P-1992 नि0 तिथि–08.01.20 टैक्स–29.06.25 फिट0–12.03.26 बीमा–18.05.26 प्रदू0–08.09.25 VLTD–18.02.26 जुर्माना–नहीं	*आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार से दिनांक–12.12.2024 को निर्गत है।* आवेदित वाहन के बैनर **रमणा** के अंतर्गत संचालित वाहन सं0– BR05P-9619 पर 8000/– रूपये जुर्माना बकाया था, जिसे बैठक से पूर्व जमा कर दिया गया है। *उक्त बकाया के संबंध में क्रमांक–20 के निर्णय में वांछित जुर्माना व शर्त्त लगा दिया गया है।*		आवेदक द्वारा समय–सारणी में आवेदित मार्ग की दूरी 119 कि0मी0 दर्शाया गया है एवं दो ट्रिप के लिए आवेदन किया गया है। इस प्रकार वाहन का एक दिन में कुल परिचालन 476 कि0 मी0 हो रहा है। चूँकि वाहन की आयु 10–15 वर्ष के बीच है एवं नियमानुसार ऐसे वाहनों को प्रतिदिन 400 कि0मी0 तक हीं परिचालन करना है। अतः उक्त के आलोक में **कोई भी एक ट्रिप कटाव,** जो आवेदक लिखित में देगें के साथ **परमिट स्वीकृत।**
22.	श्री रणजीत कुमार पिता–स्व0 हरेन्द्र प्रसाद सिंह ग्राम–अयमा गिद्धा, थाना–सरैया, जिला–मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम–**कुमार ट्रेवल्स**	BR01PR-3361 नि0तिथि 15.03.17 टैक्स–12.08.2025 फिटनेश–12.08.26 बीमा–21.10.25 प्रदूषण–28.09.25 VLTD–23.08.26 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हॉ	सिवान–मुजफ्फरपुर **मार्ग सं0–4027** सिवान प्र0–04:00 मुज0 प्र0–09:25	आपत्ति प्राप्त नहीं।		*आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नही है।*		**स्वीकृत।**
23.	श्री पंकज कुमार गिरी पिता–सुरेन्द्र गिरी ग्राम–उबधी, पो0–बखड़ि, थाना–सिसवन, जिला–सिवान। बैनर का नाम–	BR29PB-1155 नि0तिथि 14.04.25 टैक्स–06.04.26 फिटनेश–13.04.27 बीमा–06.04.26 प्रदूषण–13.04.26 VLTD–10.05.27 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हॉ	ग्यासपुर–सिवान **मार्ग सं0–4041** ग्यासपुरप्र0–05:50 सिवान प्र0–11:00 ग्यासपुरप्र0–14:20 सिवान प्र0–16:45	आपतिकर्ता–अणपूर्णा देवी, पति–श्री चन्द्रमोहन प्रसाद, परमिट सं0–BR/109/SC / 2018/57 आवृत वाहन सं0– BR29PA-1961 मार्ग टाटी बाजार–सिवान मार्ग सं0– आपतिकर्ता का आपति निम्नवत है:– आवेदक सिवान प्र0–04:45 आपतिकर्ता सिवान प्र0– 04:42 अंतराल–03 मिनट	BR29PA-1961 नि0तिथि–28.07.16 टैक्स–24.07.25 फिटनेश–31.07.25 बीमा–16.10.25 प्रदूषण–22.09.25 VLTD–27.07.25 जुर्माना–नहीं	*आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नही है। प्रावधानानुसार प्रारंभिक बिंदू पर किसी पूर्व परमिट से पहले प्रस्थान की स्थिति में अंतराल 05 मिनट एवं बाद की प्रस्थान की स्थिति में 02 मिनट अंतराल आवश्यक है।*		चूँकि आवेदक आपत्तिकर्त्ता से 03 मिनट बाद में प्रस्थान कर रहे हैं एवं प्रवधानानुसार बाद की स्थिति में 02 मिनट हीं आवश्यक है। ऐसी स्थिति में आपत्ति मान्य नहीं है। अतः **परमिट स्वीकृत।**

24.	श्रीमती शोभा देवी पति–अभय कु0 सिंह, ग्राम+पो0–देवापुर, थाना–बरौली, जिला–गोपालगंज बैनर का नाम– **अभिषेक कोच।**	BR28P-2671 नि0तिथि **14.08.06** टैक्स–31.07.25 फिट0–13.10.25 बीमा–25.09.25 प्रदूषण–14.06.25 VLTD–24.10.25 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हॉ	सलेमपुर–सिवान **मार्ग सं0–3811** सलेमपुर प्र0–10:00 सिवान प्र0–15:25	आपतिकर्ता–श्री रोहित कुमार ,पति–श्री सुरेन्द्र साह, परमिट सं0–BR2025-SC-1258A आवृत वाहन सं0– BR29PB-0732 मार्ग सलेमपुर–सिवान मार्ग सं0–3811 आपतिकर्ता का आपति निम्नवत है:– आवेदक सिवान प्र0–15:25 आपतिकर्ता सिवान प्र0– 15:30 अंतराल–05 मिनट साथ हीं सलेमपुर से सिवान की दूरी निर्गत परमिट में 56 कि0मी0 दिखाया गया है, जो इनके प्रकाशन में 50 कि0 मी0 दर्शाया गया है।	BR29PB-0732 नि0तिथि–21.01.16 टैक्स–27.08.25 फिट0–26.03.26 बीमा–01.04.26 प्रदूषण–08.10.25 VLTD–29.05.26 जुर्माना–नहीं	*आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नहीं है।* आवेदित वाहन की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है एवं नियमानुसार **15 वर्ष** से अधिक आयु वाले वाहन को प्रतिदिन 100 कि0 मी0 तक हीं परिचालन करना है। आवेदित मार्ग की दूरी पोर्टल पर 56 कि0मी0 है।		चूँकि आवेदित वाहन **15 वर्ष से अधिक पुरानी हो गई है,** जिसे नियमानुयार प्रतिदिन 100 कि0मी0 तक हीं परिचालन करना है एवं विभागीय पोर्टल के अनुसार आवेदित मार्ग की दूरी 56 कि0मी0 है, जिसके अनुसर एक ट्रिप में जाने–आने की कुल दूरी 112 कि0मी0 हो रही है। अतः पोर्टल पर दर्ज दूरी को सहीं मानते हुए उक्त के आलोक में **आवेदन अस्वीकृत।**
25.	श्री अभिषेक कुमार पिता–राम तपस्या पुरी, ग्राम–रामपुर खजुरिया, थाना–डुमरियाघाट, जिला– पूर्वी चम्पारण। बैनर का नाम– **मॉ वैष्णव।**	BR05PB-0220 नि0तिथि 05.02.19 टैक्स–29.07.25 फिट0–28.04.27 बीमा–11.04.26 प्रदूषण–07.01.26 VLTD–24.04.26 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हॉ	मोतिहारी–सिवान **मार्ग सं0–4077** मोति0 प्र0–06:42 सिवान प्र0–12:29 मोति0 प्र0–15:56 सिवान प्र0–21:06	1) आपतिकर्ता–श्री उमाकांत कुमार सिंह,पिता–श्री किशोरी सिंह, परमिट सं0–BR2020-SC-0343A आवृत वाहन सं0– BR05PB-2985 मार्ग आपतिकर्ता का आपति निम्नवत है:– आवेदक सिवान प्र0–12:29 आपतिकर्ता सिवान प्र0– 12:34 अंतराल–05 मिनट साथ हीं आवेदक का वाहन स्कूल बस में 56 सीट पर निबंधित है। उस मॉडल का कोई स्टार बस 56 सीट में नहीं है एवं इनका गाड़ी 41 सीट का पैसा देता है। वाहन स्वामी द्वारा DTO से मेल–जोल कर दूसरा ऑनर बुक निकाल लिए है, इससे स्पष्ट नहीं होता है। .... 2) आपतिकर्ता–श्री प्रमोद कुमार सिंह,पिता–स्व0 भरत भूषण सिंह, परमिट सं0– BR2025-SC-0877A आवृत वाहन सं0– BR06PC-2586 मार्ग रक्सौल–सिवान, मार्ग सं0–2465 आपतिकर्ता का आपति निम्नवत है:– आवेदक ... प्र0–05:42 आपतिकर्ता..... प्र0–05:45 अंतराल– साथ हीं गोपालगंज से महम्मदपुर की दूरी 30 कि0मी0 है, जिसे 105 मिनट में तय कर है एवं दूसरा खेप में उतना हीं दूरी 36 मिनट में कही 45 मिनट में तय कर रहे हैं, जो समानता नहीं है।	BR05PB-2985 नि0तिथि–28.01.20 टैक्स–20.07.2025 फिट0–27.02.26 बीमा–05.01.2026 प्रदूषण–12.12.25 VLTD–11.02.26 जुर्माना–नहीं .... BR06PC-2586 नि0तिथि–10.07.14 टैक्स–09.07.2025 फिट0–22.07.25 बीमा–02.10.25 प्रदूषण–29.07.25 VLTD–28.07.25 जुर्माना–नहीं	*आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार से दिनांक–16.01.2023 को निर्गत है।* (1) आपत्तिकर्त्ता के आपत्ति आवेदन के अवलोकन से प्रतीत हो रहा है कि आपत्तिकर्त्ता का भी नया आवेदन समय–सारणी है, परन्तु जिस बिन्दु सिवान में आपत्ति किया गया है वहाँ पर निर्धारित समय–अन्तराल का अनुपालन हो रहा है। अतः यह आपत्ति मान्य नहीं है। (2) आपत्तिकर्त्ता श्री प्रमोद कुमार सिंह द्वारा अपने वाहन के परमिट की प्रति संलग्न नहीं किया गया है। जिससे यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि किस बिन्दु पर समय का टकराव हो रहा है। साथ हीं अपने आपत्ति में भी उस टकराव बिन्दु का उल्लेख नहीं किया गया है। आवेदक के समय–सारणी में कहीं भी प्रस्थान का समय 05:42 अंकित नहीं है।		प्रथम आपत्तिकर्त्ता श्री उमाकांत कुमार सिंह द्वारा जिस बिंदु सिवान में आपत्ति किया गया है वहाँ पर निर्धारित समय– अन्तराल का अनुपालन हो रहा है। अतः यह आपत्ति मान्य नहीं है। द्वितीय आपत्तिकर्त्ता श्री प्रमोद कुमार सिंह द्वारा अपने परमिट की प्रति संलग्न नहीं की गई है एवं किस बिन्दु पर समय का टकराव हो रहा है, इसका भी स्पष्ट रूप से उल्लेख यहाँ नहीं किया गया है। सिर्फ प्रस्थान समय 05:42 अंकित किया गया है। जबकि आवेदक के समय–सारणी में कहीं भी 05:42 का प्रस्थान समय अंकित नहीं है। साथ हीं गोपालगंज से महम्मदपुर की दूरी 30कि0मी0 को 105 मिनट तय करने का आरोप लगाया गया है, जबकि उक्त दूरी आवेदक द्वारा 65 मिनट में तय किया जा रहा है। इस प्रकार यह आपत्ति तथ्यहीन एवं भ्रामक है, जो मान्य नहीं है। अतः **परमिट स्वीकृत।**

26.	श्री रामनाथ सिंह, पिता–स्व0 जलेश्वर सिंह, ग्राम+पो0–बसॉव, थाना– बसंत पुर, जिला–सिवान बैनर का नाम– **अभिनव।**	BR29F-7099 नि0तिथि–**16.11.09** टैक्स–31.07.25 फिटनेश–28.08.25 बीमा–23.08.25 प्रदूषण–14.07.25 VLTD–06.06.26 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हॉ	बसंतपुर–छपरा **मार्ग सं0–4093 डा0** बसंतपुरप्र0–06:27 छपरा प्र0–14:10	आपत्ति प्राप्त नहीं।		*आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नही है।*		**स्वीकृत।**
27.	श्री अनमोल कुमार पिता–श्री अर्जुन यादव, ग्राम+पो0–बढ़ेया, थाना–मीरगंज जिला–गोपालगंज बैनर का नाम–**पहलवान कोच**	BR28P-3615 नि0तिथि–06.03.24 टैक्स–27.08.2025 फिटनेश–05.03.26 बीमा–03.03.2026 प्रदूषण–09.03.26 VLTD–09.03.26 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हॉ	सिवान–गोपालगंज **मार्ग सं0–2191** सिवानप्र0–04:05 गोपा0 प्र0–05:40 सिवानप्र0–07:02 गोपा0 प्र0–08:42 सिवानप्र0–10:19 गोपा0 प्र0–12:29 सिवान प्र0–14:54 गोपा0 प्र0–17:12 सिवानप्र0–19:59 गोपा0 प्र0–22:05 सिवानप्र0–23:30 गोपा0 प्र0–01:05	आपत्ति प्राप्त नहीं।		*आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नही है।* आवेदित वाहन के बैनर पहलवान कोच के अंतर्गत संचालित वाहन सं0–BR28E-5063 का बीमा दि0–21.01.25 से फेल है, जबकि उक्त वाहन परमिट से आवृत है तथा वाहन सं0–BR19F - 3339 पर मो0–2500 /– रूपये दि0–15.05.25 से बकाया था, जिसे बैठक से पूर्व जमा कर दिया गया है।		आवेदित बैनर पहलवान कोच के अंतर्गत वाहन सं0– BR28E-5063 का बीमा फेल होने के कारण **मो0 10000 /–रू0** एवं वाहन सं0– BR19F - 3339 पर बकाया जुर्माना आवेदन की तिथि से पूर्व जमा न कर बैठक की तिथि से पूर्व जमा करने की स्थिति में **मो0 5000 /–रू0** यानि कुल– **15000 /– रू0** जुर्माना एवं उक्त वाहन का बीमा अद्यतन कराने के शर्त पर **परमिट स्वीकृत।**
28.	सहाबुदिन मियां, पिता–सरफदिन मियां, ग्राम–टेटहाली, पो0+थाना–बडहरिया, जिला–सिवान बैनर का नाम– **के0जी0एन0 ट्रे0**	BR29C-8031 नि0तिथि **24.11.06** टैक्स–27.08.25 फिटनेश–26.02.26 बीमा–05.05.26 प्रदूषण–03.11.25 VLTD–31.12.25 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हॉ	बढ़ैया–सिवान **मार्ग सं0–3784** बढ़ैया प्र0–10:10 सिवान प्र0–13:30	आपत्ति प्राप्त नहीं।		*आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नही है।*		**स्वीकृत।**
29.	अकबल अली, पिता–सहाबुदिन मियां ग्राम–टेटहाली, पो0+थाना–बडहरिया, जिला–सिवान बैनर का नाम– **के0जी0एन0 ट्रे0**	BR29F-9331 नि0तिथि **15.01.10** टैक्स–27.08.25 फिटनेश–27.01.26 बीमा–14.05.26 प्रदूषण–16.11.25 VLTD–31.12.25 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हॉ	सिवान–बढ़ैया **मार्ग सं0–3784 डा0** सिवान प्र0–12:04 बढ़ैया प्र0–14:35	आपत्ति प्राप्त नहीं।		*आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार से दिनांक–01.04.2020 को निर्गत है।*		**स्वीकृत।**

30.	श्री राज कुमार यादव पिता–शिव बालक यादव, ग्राम+पो0–धर्मपरसा, नियर मैन रोड, थाना–माझागढ़, जिला–गोपालगंज बैनर का नाम– **सूरज राज।**	BR29PA-5476 नि0 तिथि–27.10.18 टैक्स–25.07.2025 फिटनेश–19.05.27 बीमा–31.05.2026 प्रदूषण–11.06.26 VLTD–06.06.27 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हाँ	सलेमपुर–सिवान **मार्ग सं0–3811** सलेमपुर प्र0–07:49 सिवान प्र0–13:10 सलेमपुर **प्र0–15:17** सिवान प्र0–18:15	आपत्ति प्राप्त नहीं।		*आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नही है।* **कार्यालय अभिलेख** से मिलान करने पर वाहन सं0–BR28P-3468, परमिट सं0– BR2023-SC-3568A वैधता–25.12.2028 का **सलेमपुर में प्र0 समय 15:21 तथा आवेदक का सलेमपुर में प्र0 समय 15:17 है।** अंतराल 04 मिनट	BR28P-3468 नि0 तिथि–02.07.16 टैक्स–20.07.25 फिट0–04.10.25 बीमा–25.04.26 प्रदू0–10.07.25 VLTD–29.10.25 जुर्माना–नहीं	कार्यालय अभियुक्ति में उल्लेखित वाहनों से समय–सारणी में टकराव होने के कारण **द्वितीय ट्रिप कटाव के साथ परमिट स्वीकृत।**
31.	श्री रमण औझा पिता–प्रभुनाथ औझा, ग्राम+पो0+थाना–सहाजितपुर, जिला–छपरा। बैनर का नाम– **साहिल राज।**	BR04M-7667 नि0तिथि–23.07.13 टैक्स–27.08.2025 फिटनेश–15.05.26 बीमा–31.05.2026 प्रदूषण–01.05.26 VLTD–22.05.26 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हाँ	सिवान–छपरा **मार्ग सं0–3733** सिवान प्र0–05:30 छपरा प्र0–12:09	आपत्ति प्राप्त नहीं।		*आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नही है।* समय–सारणी में दो बिंदूओं के मध्य समय अंतराल त्रुटिपूर्ण अंकित किया गया है तथा सिवान से महाराजगंज की दूरी एक तरफ से 20कि0मी0 एवं दूसरी तरफ से 10कि0मी0 दर्शाया गया है। हालाकि संलग्न नक्शा में सिवान से महाराजगंज की दूरी 20कि0मी0 दर्शाया गया है एवं प्राप्त आसूचना के अनुसार भी सिवान से महाराजगंज की दूरी लगभग 20कि0मी0 बताया गया है, जिसके अनुसार न्यूनतम गति सीमा का मामला परिलक्षित नहीं हो रहा है।		चूँकि समय–सारणी में समय अंतराल एवं दूरी को त्रुटिपूर्ण अंकित किया गया है। अतः उक्त के आलोक में **मो0 5000/– रू0** जुर्माना के शर्त्त पर **परमिट स्वीकृत।**
32.	श्री मुकेश कु0 गुप्ता, पिता–प्रभुनाथ गुप्ता, ग्राम–करपलिया, पो0–मुस्तफाबाद, थाना–गौरैया कोठी, जिला–सिवान बैनर का नाम– **आदिला।**	BR29PA-5056 नि0तिथि–09.07.18 टैक्स–08.07.2025 फिटनेश–22.01.27 बीमा–20.07.25 प्रदूषण–25.12.25 VLTD–19.01.27 जुर्माना–नहीं H.S.R.P–हाँ	दुधड़ा तकिया–सिवान **मार्ग सं0–4070** दु0तकियाप्र0–06:00 सिवान प्र0–08:13 दु0तकियाप्र0–09:30 सिवान प्र0–12:58 दु0तकियाप्र0–14:20 सिवान प्र0–17:27	आपत्ति प्राप्त नहीं।		*आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट नही है।* समय–सारणी में कई बिंदूओं के मध्य न्यूनतम एवं अधिकतम गति सीमा का उल्लंघन हो रहा है। जैसे–प्रथम ट्रिप में गोरिया कोठी से मुस्तफाबाद की दूरी **06** कि0मी0 अंकित करते हुए उसे **19** मिनट में तय करने का प्रस्ताव है, जिसके अनुसार गति सीमा **18.9 km/h** हो रहा है, जो न्यूनतम गति सीमा का उल्लंघन है। इसी तरह गोरियाकोठी से दुघड़ा तकिया की दूरी **08** कि0मी0 अंकित करते हुए उसे **05** मिनट में तय करने का प्रस्ताव है, जिसके अनुसार गति सीमा **96 km/h** हो रहा है, जो अधिकतम गति सीमा का उल्लंघन है।		चूँकि आवेदित समय–सारणी में **कई बिंदुओं के** मध्य अधिकतम एवं न्यूनतम गति सीमा का उल्लंघन हो रहा है। अतः उक्त के आलोक में **आवेदन अस्वीकृत।**

(32)

नोटः— (1) उपरोक्त कार्यावली सं0—3(i) के क्रमांक 1 से 32 में आवेदित वैसे वाहन, जो पूर्व से परमिट से आवृत है, पर लगाई गई शर्तो के अतिरिक्त यह शर्त लगाया जाता है कि पूर्व से धारित परमिट का प्रत्यर्पण करने या परमिट प्रत्यर्पण संबंधी साक्ष्य उपलब्ध कराने के पश्चात एवं लगायी गयी सभी शर्त्तों का अनुपालन होने व बकाया जुर्माना जमा करने के पश्चात् ही परमिट निर्गमन की कार्रवाई की जायेगी।

(2) सभी संबंधित वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता है कि कार्यावली संख्या—3(i) के क्रमांक—1 से 32 तक के निर्णय में लगाई गई शर्त्त एवं उक्त कंडिका (1) में लगाई गई शर्त का अनुपालन दिनांक—10.07.2025 तक अनिवार्य रूप से करते हुए उसकी साक्ष्य कार्यालय को उपलब्ध करा देंगे अन्यथा लगाये गये शर्त का अनुपालन क्रमशः दिनांक—10.07.2025 तक नहीं होने की स्थिति में यह माना जायेगा कि लगाये गये शर्त पर आप परमिट लेने हेतु इच्छुक नहीं है एवं इस आधार पर आवेदन **Dispose Off** कर **Time Slot Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए संबंधित वाहन स्वामी स्वयं जिम्मेवार होंगे।

(3) जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण/सिवान/गोपालगंज को निदेश है कि कार्यावाही में वर्णित जिस वाहन का परमिट आवेदन अस्वीकृत किया गया है एवं पूर्व से भी उक्त वाहन के पक्ष में कोई वैध परमिट न हो तो वैसे वाहन का परिचालन न किया जा रहा हो, यह सुनिश्चित करेंगें। अन्यथा जिनके क्षेत्राधिकार में ऐसे वाहनों का परिचालन पाया जायेगा, उनकी जबावदेही तय की जायेगी।

01/07/25

अपर समाहर्त्ता, सारण (राजस्व)
—सह—
सदस्य, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण छपरा।

01/07/2025

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण, छपरा।

1/7/25

आयुक्त—सह—अध्यक्ष,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण, छपरा।

01/07/25

01/07/25